

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक, जो दिनांक 8 जुलाई, 1977 को
पूर्वाह्न 10-30 बजे लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय स्थित 6,
जगदीशचन्द्र बोस मार्ग पर हुई, की कार्यवाही :

= = = = =

उपस्थित :

- 1- श्री वीरेन्द्र देव ब्यास - आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।
- 2- श्री नरेन्द्र बिहारी लाल - प्रशासक, लखनऊ नगर महापालिका
एवं उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास
प्राधिकरण, लखनऊ ।
- 3- श्री बी० जे० छाोदायजी - आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश
शासन, आवास एवं नगर विकास
विभाग ।
- 4- श्री अरविन्द वर्मा - विशेष सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन विधान भवन,
लखनऊ ।
- 5- श्री राम चन्द्र टकस - जिलाधिकारी, लखनऊ ।
- 6- श्री जयन्ती प्रसाद दुबे - मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 7- श्री वाई० एन० चतुर्वेदी - अधिशासी अभियन्ता, जल निगम
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

विशेष आमंत्रित :

- 8- श्री पी० एन० राय - प्रबन्धा निदेशक, उत्तर प्रदेश
राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ ।
- 9- श्री विपिन चन्द्र - सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, उत्तरप्रदेश
राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ ।

अन्य उपस्थित:

- 10- श्री बाबू राम - सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।
- 11- श्री प्रेम नारायण बाजपेयी - अतिरिक्त सचिव, लखनऊ विकास
प्राधिकरण, लखनऊ ।
- 12- श्री के० पी० सिंह - वरिष्ठ नगर नियोजक, विकास
प्राधिकरण, लखनऊ ।
- 13- श्री एस० पी० गुप्त - मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास
प्राधिकरण, लखनऊ ।
- 14- श्री के० बी० सक्सेना - मुख्य लेखाधिकारी, लखनऊ विकास
प्राधिकरण, लखनऊ ।

-0-0-0-0-0-

क्रमशः - - - - 22

मद सं० ॥१॥-१

गत बैठक दिनांक 19-2-77 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

मद सं० ॥२॥-१

पिछली बैठक दिनांक 19-2-77 में लिये गये निर्णयों की प्रगति से उपाध्यक्ष ने बैठक को अवगत कराया ।

2- प्राधिकरण ने इच्छा व्यक्त की कि पूर्व मीटिंगों के निर्णयों तथा निर्देशों की कार्यान्वयन प्रगति की स्पष्ट आख्या प्रत्येक मीटिंग में रखी जाया करे ।

॥कार्यवाही- सचिव, विकास प्राधिकरण॥

3- तालकटोरा स्थित औद्योगिक क्षेत्र के भू-उपयोग को बदलने के सम्बन्ध में संबंधित विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भित किया गया है अथावा नहीं ज्ञात कर इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जाय ।

॥कार्यवाही- वरिष्ठ नगर नियोजक॥

मद सं० ॥३॥-१

अध्यक्ष महोदय ने सभी आगन्तुक सदस्यों को बैठक में भाग लेने पर आभार प्रकट करते हुये विगत वित्तीय वर्ष 1976-77 के बजट उपबन्धों पर प्रकाश डालते हुये कहा कि पिछले वर्ष के मूल बजट की स्वीकृति अधिक विलम्ब से होने के कारण उपलब्धियों अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं पहुँच सकी परन्तु फिर भी प्रस्तावित कार्यों को काफी हद तक पूर्णता की दिशा में अग्रसर किया गया है । सीमित साधनों को जुटाकर बजट वर्ष 1976-77 की वास्तविक आय अनुमान के विरुद्ध 89 प्रतिशत हुई है जो गत वर्ष के राजस्व से लगभग 65 प्रतिशत अधिक थी । उसी प्रकार व्यय पक्ष में प्रस्तावित राजस्व व्यय रु० 192-04 लाख के विरुद्ध 108-03 लाख का व्यय हुआ है । राजस्व आय में वृद्धि तथा व्यय में कमी का प्रमुख कारण बजट देर से पास होना ही है । अध्यक्ष महोदय ने यह भी अवगत कराया कि हजरतगंज और नखास में विकास प्राधिकरण द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण काफी प्रगति पर है और छितवापूर, अलीगंज तथा आर० टी० ओ० आफिस के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों प्लानिंग स्टेज में हैं और इनका कार्य इसी वर्ष आरम्भ होने वाला है ।

2- प्राधिकरण के वित्तीय स्रोतों के संबंध में बैठक को अवगत कराते हुये बताया गया कि संस्था ने अपनी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने की काफी चेष्टा की है तथा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की व्यवस्था की जाती रही है । शासन से 20 लाख रुपया का रिवा-

लिविंग फण्ड प्राप्त किया गया है तथा 2.06 करोड़ रुपये के डिबेन्चर्स 9.5 प्रतिशत ब्याज पर जारी होने के दो घण्टे में प्राप्त किये गये हैं जो विकास प्राधिकरण की उत्कृष्ट साख का द्योतक है। हज़रतगंज ब्यवसायिक प्रतिष्ठान निर्माण हेतु सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा वित्तीय ऋण अनुमोदित है जिसकी द्वितीय किश्त ₹ 20 लाख भी प्राप्त हो गई है। इसके अतिरिक्त "हडको" से 43.85 लाख रुपया इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध हुआ। उपरोक्त के अतिरिक्त इसी 1977-78 वित्तीय वर्ष में 2.50 करोड़ रुपये का सीड कैपिटल शासन द्वारा दिया गया है।

3- प्राधिकरण ने नोट किया कि गत वित्तीय वर्ष की उपलब्धियाँ निम्न रही है :-

॥क॥ बजट प्राविधान ₹ 321.15 लाख राजस्व आय के विरुद्ध ₹ 287.41 लाख हुई है। यह प्रस्तावित आय की 89 प्रतिशत ही है परन्तु पिछले वर्ष की आय से 65 प्रतिशत अधिक है जो कि सराहनीय है।

॥ख॥ ऋण और अनुदानों से प्रस्तावित आय ₹ 607.65 लाख के विरुद्ध 545.85 लाख उपलब्ध हुई।

॥ग॥ राजस्व व्यय के पक्ष में अनुमानित ₹ 192.04 लाख के विरुद्ध ₹ 108.30 लाख व्यय हुआ है।

4- वर्तमान वित्तीय वर्ष 1977-78 के संबंध में उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण को बताया :-

॥क॥ जहाँ तक बजटीय व्यय पक्ष का प्रश्न है उसकी प्रमुख मद राजस्व लेखों में अधिष्ठान ऋणों एवं उनके ब्याज भुगतान तथा ऋण माँग-पत्र के मूलदान प्रतिदान हेतु शोधन लेखों के भुगतान की प्रमुख मद आती है जिसमें क्रमशः ₹ 28.69 लाख, ₹ 119.59 लाख तथा ₹ 9.08 लाख के अनुमान रखे गये हैं। अधिष्ठान व्यय बढ़ जाने का प्रमुख कारण यह है कि समस्त नवीन पद जो प्राधिकरण के द्वारा स्वीकृत हुये थे उनमें से अधिकांश नियुक्तियाँ हो चुकी है उनका व्यय पूर्ण इस वर्ष में रखा गया है। मार्च 1977 में शासन द्वारा महंगाई-भाते की 8 किश्तें स्वीकृत की गईं जिनके पूर्ण वर्ष का भुगतान एवं वार्षिक वृद्धि इत्यादि का व्यय सम्मिलित ढरना पड़ा है। ऋणों के प्रतिदान में पुराने ऋणों की किश्तें, अचुकित धानराशि के 10 प्रतिशत

डिवेन्चर, आधारित पूँजी ऋण पर व्याज तथा अन्य ऋणों का प्रतिदान सम्मिलित है। उपरोक्त मदों के अतिरिक्त राजस्व आय से विभिन्न योजनाओं में विकास कार्यों हेतु प्राविधान भावनों की देखरेख हेतु 26-10 लाख रुपये का प्राविधान रखा गया है। इस प्रकार उपरोक्त मदों पर कुछ राजस्व व्यय का 63.27 प्रतिशत व्यय होना अनुमानित है।

॥ख॥ व्यय पक्ष में पूँजी लेखा एक प्रमुख मद है इसकी प्रमुख आय श्रोत ऋण एवं अनुदान है जो बजट वर्ष में कम से कम अर्थात् ₹ 137,15,000/- का अनुमानित किये गये हैं। इस लेखों में राजस्व आय से 368.30 लाख रुपये व्यय किये जाने का अनुमान है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आलोच्य बजट वर्ष में कम ऋण लेने एवं अपने राजस्व से अधिक व्यय करने का प्राविधान किया गया है।

॥ग॥ प्रमुखा रूप में कानपुर रोड योजना, ट्रान्सपोर्ट नगर टिम्बर नगर, नैपियर रोड योजना, शोलापुर कर्सेला तथा अन्य योजनाओं के विकास पूर्ण करने का प्रयास किया जायगा। ओल्ड पोस्ट आफिस व्यवसायिक केन्द्र नखास, आर० टी० ड्यु० आफिस, छितवापुर इत्यादि केन्द्रों के कार्य प्रारम्भ करने तथा उन पर व्यय करने का प्राविधान रखा गया है। अलीगंज योजना में 114 चार कमरे वाले, 148 दो कमरे वाले, दो-मंजिले 100 भवन तथा "हुडको से प्राप्त ऋण से 172 भवन, निम्न आय वर्ग हेतु 200 भवन ई०डब्ल्यू० एस० के अन्तर्गत 348 भवन, कर्वला मलका जहाँ, पाण्डेय का तालाब पर 480 भवन निर्माण करने का प्राविधान है।

3-5- श्री बी० जे० खोदायजी, आयुक्त एवं सचिव, आवास एवं नगर विकास उत्तर प्रदेश शासन ने बजट पर विचार विमर्श होने से पूर्व निम्नलिखित अभिमत व्यक्त किया :-

- 1- चेयरमैन की सचिव को बजट प्रतियों के साथ सभी सदस्यों को भोजनी चाहिये थी ताकि बजट का अध्ययन चेयरमैन की स्पीच के प्रकाश में की जा सकती है
- 2- बजट के अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि डेट-एक्विटी का अनुपात $\{ \text{Debt Equity Ratio} \}$ 6:5 है जो पूर्णतया लाभकर नहीं है।
- 3- उपरोक्त के समान ही लैण्ड इनवेन्ट्रीज का अनुपात $\{ \text{Land Inventory Ratio} \}$ 1:2 है। यह भी लाभकर नहीं है।

4- कामक्षिपल मैनेजमेंट का अनुपात भी 9:5 हैं। इसे भी कम करना आवश्यक होगा।

3-6 प्राधिकरण के निर्णय किया कि प्रस्तावित बजट 1977-78 अनुमोदित किया जावे किन्तु उसे कार्यान्वित करने में उपरोक्त विद्बुधो (पैरा 3-5) को ध्यान में रख कर ही किया जायताकि अधिक से अधिक सुविधाएं न्यूनतम व्यय में सुविधित की जा सके और भूमि तथा उपलब्ध वित्तीय साधनों को शीघ्रतम उपयोगी में कार्यों में लगाया जा सकें।

(कार्यवाही- उपाध्यक्ष)

सं044-1 लखनऊ मास्टर प्लानकी वैधता के संबंध में अध्यक्ष विकास प्राधिकरण ने अधिकरण में प्रस्तुत अपील संख्या 28/सी0ए/74-75, श्री रतन कुमार बसेज प्रकाइड अथारिटी के निर्णय के संबंध में प्राधिकरण में प्रस्तुत टिप्पणी में वर्णित स्थिति से अवगत हुए। यह प्रका जटिल है अतएव राज्य सरकार के विधि परामर्शी को उनकी राय के लिये भेज दिया गया है। निदेश दिया गया कि विधिक राय शीघ्रता से प्राप्त कर ली जाय और उसके अनुसार आगे कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही- सचिव)

सं0-5 5-1 निराला शिक्षा सेवा संस्थान हेतु निराला नगर कालोनी में भूखण्ड संख्या सी-126 से सी-138 के सामने स्थित पार्क में से स्थान निकाल कर निराला शिक्षा सेवा संस्थान को देने के प्रश्न पर प्रस्तुत टिप्पणी में व्यक्त स्थिति पर प्रबाधा डालते हुए उपाध्यक्ष ने बताया कि इस संस्थान का स्थल निराला नगर स्थित 391, 392 तथा 393 उक्त स्थल को चलाने हेतु आवंटन करने का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21-2-74 को भेजा था। शासन ने आवासीय क्षेत्र में भूमि उपलब्ध करने हेतु अपने आदेश सं0 3283/37-3-3 पी 10/74 दिनांक 31-7-76 में असमर्थता व्यक्त की। इसके पश्चात् संस्था ने उपरोक्त कार्य के लिये पार्क के कुछ भाग को देने के लिये प्रार्थना की है। यह निर्णय लिया गया कि जैसी भीति राजाज्ञा संख्या 4442/1-1-17.75 सत्रह दिनांक 28-10-75 में निर्धारित है उसके अनुसार किसी संस्था को निर्माण हेतु पार्क की कोई भूमि न दी जाय। यदि संस्था इन्हे किसी उपलब्ध भूमि को प्रस्तावित करे तो प्रार्थना पत्र पर सहायप्रतिस्पर्धक विचार किया जाय।

(कार्यवाही-निराला शिक्षा संस्थान)
कुमार

सं0 6-1 यू0पी0 स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तावित अमौसी औद्योगिक क्षेत्र के प्रस्तावित संशोधित ले-आउट-प्लान की स्वीकृति के संबंध में वरिष्ठ नगर नियोजक ने बताया कि उक्त संस्था का एक ले-आउट-प्लान नियंत्रक प्राधिकारी की बैठक दिनांक 3-9-71 में स्वीकृत किया गया था तदोपरान्त इन्डोले संशोधित ले-आउट प्लान 24-2-76 को दाखिल किया है। इस ले-आउट प्लान में मूल ले-आउट प्लान में भूखण्डों की संख्या 14 अधिक हो गयी है। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक का दो-अवेजेन्शन () दिनांक 15-4-77 भी प्राप्त हो गया है लेकिन संस्था के प्रबन्धक ने पुनः पत्र द्वारा हाथ ही में सूचित किया है कि इस प्लान में भी कुछ और संशोधन करने हैं। निश्चय किया गया कि प्रबन्ध निदेशक यू0पी0स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मीटिंग करके एक फाइनल प्लान की उपरिष्ठा तैयार कराती जाय ताकि विकास प्राधिकरण के द्वारा उक्त ले-आउट में बार-बार संशोधन न करना पड़े।

(कार्यवाही-सचिव/वरिष्ठ नगर नियोजक)

सं0 7-1 तालकटोरा रोड इण्डस्ट्रियल स्टेट के प्रस्तावित संशोधित ले-आउट-प्लान के संबंध में वरिष्ठ नगर नियोजक ने अवगत कराया कि तालकटोरा रोड इण्डस्ट्रियल एरिया का एक ले-आउट-प्लान विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 2-4-74 में प्रस्तुत किया गया था उस ले-आउट प्लान की स्वीकृति के पश्चात्

इण्डस्ट्रीज विभाग ने विकास कार्यो हेतु एग्रीमेन्ट करने से पूर्व ही एक संशोधित ले-आउट-प्लान पुनः दाखिल कर दिया, जिसमें प्लाटों की लामों एवं सेट-बैक तथा संख्या में परिवर्तन हो गया। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की राय संशोधित प्लान पर 29-4-77 को प्राप्त हुई किन्तु उत्तरीय रेलवे ने पत्र दिनांक 28-4-77 के द्वारा रेलवे लाइन के मध्य से 100' दूरी दोनों तरफ छोड़ना अनिवार्य बताया है जबकि प्लान में प्रस्तावित भवनों की दूरी रेल मध्य में 40' ही है। चूंकि यह स्पष्टतया ज्ञात नहीं था कि यह रेलवे लाइन उपयोग में आती है या नहीं। यह ज्ञात करने के पश्चात् उद्योग निदेशक को रेलवे की आवश्यकता व राज्य सरकार द्वारा दिये गये आर०बी०ओ०एफ० ट के डाइरेक्शन नं० 5 के अनुसार संशोधित ले-आउट प्लान को कहा गया।

(क. रंवाही - मुख्य नगर नियोजक)

1द सं०-8

8-1 राजकीय शाखा प्रेस हजरतगंज की स्थापना हेतु उस भूमि को जो पूर्व में तातवाग मेटरिनिटी सेन्टर के लिये अध्याप्ति थी उपयोग परिवर्तन करने के विषय में विचार विमर्श के उपरान्त यह देखा जा रहा है कि राजकीय शाखा प्रेस ऐशबाग में पहले से ही चल रहा है और इस क्षेत्र में विधान मण्डल से संबंधित समस्त मुद्रण कार्य हजरतगंज स्थित प्रेस में होती हैं और इस लिए कि उक्त क्षेत्र आवासीय उपयोग के लिये महायोजना में निर्दिष्ट है अतः यदि इस क्षेत्र में एक बड़े प्रेस का लगाने की अनुमति प्रदान करके भूमि उपयोग में परिवर्तन करना उचित नहीं पाया गया।

मद सं०-9

9-1 अतीगंज आवास योजना में महापातिका द्वारा प्रस्तावित स्कीम को जनता के लिये उपलब्ध किये गये पुस्तिका में प्रस्तावित सेट बैक तथा आर०बी०ओ०एफ० ट अथवा मास्टर प्लान में निर्धारित सेट-बैक में जो अन्तर है उसके संबंध में विचार विमर्श किया गया। इस विषय के लिए प्रस्तुत टिप्पणी में दिये गये तथ्यों पर और करके के उपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि महापातिका विकास कार्य कारिणी की स्वीकृति के पश्चात् अतीगंज आवास योजना संशोधित प्लानों के तहत जो पुस्तिका प्रार्थना पत्रों के देने हेतु प्रकाशित की गयी थी और जिसमें योजना संबंधी विभिन्न निबंधों के साथ भूमि पर भवन निर्माण हेतु मार्ग निर्धारित की गयी तथा जिनमें सूचियों के सेटबैक को भी निर्धारित किया गया था जो निम्न हैं:-

'ए'	7150 वर्ग फिट	15फिट	10' तथा 6'	दोनों तरफ	10'
'ए-1'	6000 वर्ग फिट	15,,	10' तथा 6'	दोनों तरफ	10'
'बी'	4050	15,,	7- $\frac{1}{2}$ ' तथा 6'	दोनों तरफ	10'
'बी-1'	3200 वर्ग फिट	15,,	7- $\frac{1}{2}$ ' तथा	एक तरफ	10'
'सी'	1800 वर्ग फिट	10फिट	6'	एक तरफ	10'
'डी'	1250 वर्ग फिट	10फिट	5'	एक तरफ	10'

Construction of Signatures

वे एक प्रकार के / हैं जिसमें प्राधिकरण बाध्य हैं। निर्णय लिया गया कि अलीगंज आवास योजना के उपरोक्त सैटे बैक को जो प्रकाशित पुस्तिका में रखे गये थे वे ही मान्य होंगे तदनुसार भवनों के नक्शे पास किये जायें।

(कार्यवाही-नगर अभियन्ता)(भवन)

सं०-10

10-1 पतंग वाले मैदान के विकास से संबंधित डेवलपमेंट प्लान जो टाऊन फोर्स द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर बनाया गया है पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य अभियन्ता ने बैठक को अवगत कराया कि पतंग वाला मैदान मेडिकल कॉलेज तथा गोमती नदी के बन्दे के बीच का क्षेत्र है जो गोमती नदी पर बांध बन जाने से अब सुरक्षित हो गया है। इस संबंध में एक टाऊनफोर्स स्थापित किया गया था उसने अपनी विभिन्न बैठकों में इस क्षेत्र के विकास हेतु सुझाव दे दिये हैं। कूडे के प्रभाव के कारण टाऊन फोर्स इसमें कोई भी भवन निर्माण करने पर उसमें दरारे पड़ने का भय है अतः रोडसाइड पर रेलिंग एवं अच्छे फ्लैट वाले पेड़ ही लगाये जायें। निर्णय लिया गया कि उद्यान निदेशक के परामर्श से माहसून समाप्ति के पूर्व ही कर लिया जाय। इसकी वित्तीय स्थिति सहायक अधिकारी से प्राप्त कर ली जाय।

कार्यवाही-उप सचिव।

सं०-11

11-1 लखनऊ विकास प्राधिकरण के मोनोग्राम तथा कामगसीत की स्वीकृति के संबंध में सचिव विकास प्राधिकरण ने बताया कि एन०डी०ए० का कोई मोनोग्राम या कामगसीत विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है। अभी तक प्राधिकरण के अनुबन्धों आदि में जो कामगसीत लगाई जाती रही हैं वह चीफ टाउन एवं कन्टी प्लानिंग द्वारा संस्तुत हैं की औपचारिक स्वीकृति अभी इस पर प्राप्त नहीं है। कुछ प्रस्तावित नमूने (डिजायन) संलग्न * * * * * पर उपरोक्त डिजाइन प्राधिकरण के मोनोग्राम तथा कामगसीत के लिये अनुमोदित किया गया। सचिव प्राधिकरण उक्त सील बनवा कर अपने पास सुरक्षित रखें।

(कार्यवाही-सचिव)

सं०-12

12-1 मोहल्ला हंसैलगंज बाय आयना बीबी स्थित अहाता कामता प्रसाद क्षेत्र में मतिज बस्ती निपातन योजना के संबंध में प्राप्त शासनादेश संख्या 4704/37-2-76 -17एन०ए०-73 दिनांक 18-11-76 पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि सचिवालय के कण्ट्रीन रुम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 15-6-76 में लिये गये निम्न निर्णय के आधार पर पुनः विचार हेतु यह मामला शासन को प्रेषित कर दिया जाय:-

As regards the Chitwapur scheme of the Co-operative Society the information was that acquisition proceedings have already been completed with the issue of notice under section 17 of Land Acquisition Act, Sri Saxena disputed this information. The Chief Secretary desired that actual position be ascertained by the Commissioner & Secretary LSC and in case the proceedings were incomplete the Nagar Mahapalika should be advised to look for some other land.

Contd....8.

मद सं०-13

13-1 तिरुपति देवस्थावन्म ट्रस्ट को महानगर विस्तार योजना में कम्युनिटी सेन्टर निर्माण हेतु भूमि दिये जाने के संबंध में मुख्य अभियन्ता ने बताया कि टी०टी०डी० के अध्यक्ष श्री राव स्थल का चयन करने हेतु दिसम्बर 1976 में तय नक आये थे और निरीक्षण उपरान्त उन्हीने महानगर विस्तार योजना तथा अतीर्ण योजना में कम्युनिटी सेन्टर हेतु संरक्षित भूमि में उक्त हेतु 1,35 एकर (58,806 वर्ग फुट) भूमि की मांग की योजना की यह भूमि रु० 10% प्रति वर्ग फुट की दर से देने की सूचना श्री राव को दी गई थी। श्री राव ने अतुरोध किया था कि क्योंकि यह कम्युनिटी सेन्टर सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा विवाह आदि के लिये इस क्षेत्र के निवासियों को सुविधा प्राप्त कराई जायेगी यह भूमि टी०टी०डी० ट्रस्ट को रु० 5/- प्रति वर्ग फुट रियायती दर पर दे दी जायं उक्त संस्था को इस कार्यालय के पत्र संख्या 3181/ब० अ० दिनांक 30-4-77 द्वारा 44,780 वर्ग फीट भूमि रु० 5/- प्रति वर्ग फुट रियायती दर से प्रीमियम लेकर पट्टे कर दिये जाने की सहमति में सूचित किया गया। कलान्तर में संस्था ने अतुरोध किया है कि दानोत्तर संस्था होने के कारण उन्हे बाभिनत तीज रे नट पर 99 वर्ष हेतु भूमि पट्टे पर दी जाय। निश्चय किया गया कि तिरुपति देवस्थावन्म ट्रस्ट के अधिशासी अधिकारी को विनयपूर्वक सूचित कर दिया जाय कि प्राधिकरण के दायव्य संख्याओं को छूट देने के पूर्व-निर्णयों के संदर्भ में रु० 5/- प्रति वर्ग फुट के हिसाब से टी०टी०डी० ट्रस्ट को भूमि दी जा सकती है। 99 वर्ष के बाभिनत तीज के पट्टे पर देना सम्भव नहीं है। ट्रस्ट को निर्णय से अवगत करा दिया जायं।

द सं०-14-

14-1

(कार्यवाही-सचिव)

ओल्ड पोस्ट आफिस हजरतगंज में ब्रह्म बहु खण्डी व्यवसायिक प्रतिष्ठान की लागत में पूर्व अनुमानित व्यय और निर्माण निगम द्वारा जो बढोतरी व अन्तर-प्रस्तावित की गई हैं। उनके विषय में विचार विमर्श हुआ। मुख्य अभियन्ता ने बताया जुलाई 78 में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा डा० ओ०पी०जैब से प्राप्त प्रारम्भिक डिजायन के आधार पर सिविल वर्क का एक व्यापकमान तय नक विकास प्राधिकरण द्वारा 71,27 लाख रुपया का बनावया गया था जिसे मेनेजिंग डायरेक्टर जल निगम को जांच हेतु भेजा गया था मगर उन्हीने जांचने व काम करने में असमर्थता प्रकट की। चूंकि इस योजना हेतु रु० 95 लाख का ऋण स्वीकृत हो चुका था निर्माण में वित्त हो रहा था अतएव विकास प्राधिकरण ने बैठक दिनांक 15-10-1976 में निर्णय लिया कि यह कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया जाय। राजकीय निर्माण निगम से योजना की लागत के संबंध में कार्य कराते से पूर्व जानकारी प्राप्त की गई थी जिसके संबंध में निगम ने अपने पत्र दिनांक 12-10-76 द्वारा यह अवगत कराया था कि लगभग तीस वर्ष पूर्व अशोक मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही बहुखण्डी भवन में लगभग निम्नलिखित स्थिति एरिया निर्माण दरें आती हैं:-

1-	सिविल एण्ड वर्क	433 रु० प्रति वर्ग फुट
2-	सेनेटरी एण्ड वाटर सप्लाय	15 रु०
3-	फार-फाइनिंग	17 रु०
4-	साइट डेवलपमेंट	18 रु०
5-	इन्टरनल विंग	82 रु०
6-	सब-स्टेशन	885 रु०
7-	फिफ्ट	75 रु०

मेनेजिंग डायरेक्टर निर्माण निगम ने उपरोक्त दरों में वृद्धि बताते हुए बताया कि जवाहर भवन में जो मुख्य निर्माण पर आया है उसमें लगभग 5 प्रतिशत वृद्धि होने की सम्भावना है। इस प्रकार विकास प्राधिकरण मुख्य अभियन्ता की जांच से 9 लाख रुपये का अंतर आता है। निश्चय किया गया कि यद्यपि राजकीय निर्माण निगम द्वारा जिस प्रगति से कार्य किया जा रहा है वह सराहनीय है किन्तु चूंकि विस्तृत आगमन पूर्व काल में तैयार नहीं हो पाये हैं अतएव यह आवश्यक है अब पूर्ण औचित्य सहित सही अनुमान बनाये जायें। इसे हेतु काम्प्लैक्स की एकोनामी की जांच के लिये एक अतिरिक्त उप समिति बनाई जाये जिसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तहसील विकास प्राधिकरण तथा सदस्य मुख्य अभियन्ता, सांविधि, विशेष सचिव वित्त विभाग तथा प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम इसके सदस्य हों। डा० ओ०पी० जैन हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट सर्विवर इन्जीनियरिंग स्कूल भी विशेष रूप में आमंत्रित किये जा सकें। इस उप समिति का कार्य यह होगा कि पूर्व के सभी अनुमोनों को दृष्टि में रखते हुये वर्तमान अनुमानित/सूच्य का परीक्षण करें उसमें बढ़ोतरी के कारणों का विश्लेषण करें और अपनी संस्तुति सम्भावित अन्तिम सूच्य के बारे में दें ताकि इस काम्प्लैक्स की इकोनामी (Economy) तथा Disposal let-out करने के लिए मिश्रा जी के बारे में निर्णय लिया जा सकें। उप समिति से अपेक्षा की गयी कि शीघ्रतम वह अपनी अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही - सचिव)

मद सं०-15 15-1 तहसील काबपुर रोड नगर प्रसार योजना के प्रथम चरण में प्रस्तावित विकास के बारे में निर्णय लिया गया कि विकसित भूमि के निर्माण मूल्यों को यथा सम्भव सही ढंग से आगणित किया जाय ताकि भविष्य में परिवर्तन न करवे पड़े। प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत प्रस्तुत किये जायें।

(कार्यवाही - सचिव)

मद सं०-16 16-1 कुर्सी रोड पर 12 किलोमीटर दूरी पर एक कैटिग कालोनी स्थापित करने का निर्णय आयुक्त एवं सचिव कृषि उत्पादन के कक्षा में हुई बैठक दिनांक 15-11-76 में लिया गया था। इस स्थान पर बन विभाग की लगभग 1300 एकड़ भूमि पर कामधेनु नगर की स्थापना करने के सम्बन्ध में विचार किया गया। जिताधिकारी ने कहा कि शहर के एक ही स्थान पर कामधेनु नगर स्थापित करना उचित नहीं होगा। इसको शहर के चारों ओर स्थापित करने में ही समस्या हल हो सकेगी। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जो कार्य इस समय हाथ में है उसे यथा सम्भव गति से चला रखा जाय। इस भूमि का किसी और स्त्रीम के लिये उपयोग हो सकता है इसका परीक्षण भी किया जाय और भविष्य में विकास करते समय वैकल्पिक योजना की सम्भावनाओं को दृष्टि में रखा जाय।

(कार्यवाही - मुख्य अभियन्ता/वरिष्ठ नगर नियोजक)

मद सं०-17 17-1 उत्तर प्रदेश नगर नियोजक एवं विकास अधिनियम की धारा 12 की उप धारा - 2 के अन्तर्गत नगर के विभिन्न क्षेत्रों के भावनों के अग्र भाग की मरम्मत तथा उनको प्राधिकरण के द्वारा निश्चित रंग दिये जाने की चालू योजना के संबंध में निर्णय लिया गया कि इस योजना को आगे चलाया जाय किन्तु विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जा चुका है वहाँ जो व्यय

किया जा चुका है उस धारा की वसूली जारी रहे।

(कार्यवाही- सचिव)

मद सं० 18-

18-1 अतीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के महापालिका सीमा के बाहर के हिस्से को अर्जित एवं विकसित करने पर विचार किया गया। मुख्य अभियन्ता ने बताया कि चूंकि जनता में भूखण्डों एवं भवनों की अधिक मांग है अतएव वस्तु स्थिति की पूर्ति हेतु आवश्यक है कि अतीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के महापालिका सीमा के बाहर के हिस्से को भी तुरन्त विकसित किया जाय। योजना की पूर्व विज्ञप्ति योजना के किसी भी हिस्से को छोड़ने हेतु पुनः किसी प्रकार का डिनोटिफिकेशन नहीं किया गया है। शासन द्वारा योजनाओं को विकसित करने के समय सरकारी गजट सं० 1115/17-बी-17-27 दिनांक 16-3-1972 द्वारा विधायित अवधि में नोटिफाई करके दस वर्ष कर दिया गया तथा उसके पश्चात् भी अवधि और बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार वर्तमान समय अनुसार अतीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना हेतु 25-4-79 तककी अवधि शेष है तथा उसके पश्चात् यदि आवश्यकता हुई तो और बढ़ाई जा सकती है। इस योजना के क्षेत्र भाग जो लगभग 232 एकड़ है तथा जो महापालिका की सीमा के बाहर का क्षेत्र है को उपरोक्त आवश्यकता देखते हुए विकसित करना इस समय आवश्यक प्राधिकरण में इस क्षेत्र के विकास को स्वीकार किया और निर्देश दिया कि व्यापक दृष्टि से परीक्षण के उपरान्त कार्य को हाथ में लिया जाय।

(कार्यवाही-मुख्य अभियन्ता)

मद सं०-19-

19-1 अतीगंज योजना में निर्मित किये गये चार कमरे वाले उच्च आय वर्गीय भवनों को पूर्व भू मताव के आधार पर क्रय करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। जिताधिकारी ने कहा कि इस संबंध में विचारणीय है कि इतने उच्च कीमत के भवनों की रजिस्ट्रेशन फीस कई हजार रुपये पड़ जाती है जिससे भवनों की कीमत बढ़ जाती है। क्रेता को इससे मुक्ति दिलाने के संबंध में कोई कदम अवश्य उठाये जाने चाहिए। ताकि इस क्षेत्र से आवास के माहिल को बचाया जा सके। इस संबंध में विचार विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिया गया:

- 1- लगभग विकास प्राधिकरण विन्डर के रूप में आवास का निर्माण करते दे सकते हैं।
- 2- उच्च आय वर्गीय भवनों के निर्माण के लिये कुछ वैकल्पिक डिजायन उपलब्ध रहने चाहिये ताकि क्रेता अपनी परसंद के डिजायन बन कर सके।

(कार्यवाही - सचिव। मुख्य अभियन्ता)

मद सं०-20-

20-1 अतीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत सेक्टर 'डी' में प्रस्तावित 100 मध्यम आय वर्गीय भवनों के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया गया मुख्य अभियन्ता ने बताया कि इन भवनों का व्यय रिवाटिविंग फंड जो राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है से वहल किया जायेगा। भवनों को पूर्ण धरती/विहीन के आधार पर इच्छुक व्यक्तियों को आवंटित कर दिया जायेगा। अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही- मुख्य अभियन्ता- सचिव)

मद सं०-21-

21-1 अतीर्ण मार्ग एवं नगर प्रसायोजना के अन्तर्गत सेक्टर* डी* में 248 अल्प आय वर्गीय भवनों के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया गया। मुख्य अभियन्ता ने बताया कि इन भवनों में से 200 भवनों का व्यय रिवायिंग फंड तथा 48 भवनों का व्यय राज्य सरकार से प्राप्त ऋण द्वारा किया जायेगा। इन भवनों को पूर्ण बिक्री के आधार पर इच्छुक व्यक्तियों को आवंटित किया जायेगा। योजना अनुमोदित की गई।

(कार्यवाही-मुख्य अभियन्ता/प्रधिव)

मद सं०-22

22-1 श्री लीलाधर पंत के मकानकी भूमि को अतीर्ण आवास योजना से मुक्त किये जाने के अनुरोध पर विचार किया गया। बैठक के दौरान श्री लीलाधर पंत को भी सुनने का मौका दिया गया। तत्पश्चात् यह निर्णय लिया गया जो सैट बैंक उन्हें अनुमति किये गये हैं उनके अनुसार श्री पंत अपने मकान को स्वयं ठीक करतें। सैट बैंक के संबंध में अब और कोई शिथिलता, करवा सम्भव नहीं है।

(कार्यवाही मुख्य अभियन्ता)

मद सं०-23-

23-1 तब नऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों पर तब नऊ नगर महापालिका सेवानिवृत्त वेतन, ग्रेजुटी एवं जबरन प्राविडेन्ट फंड नियमावली 1962 लागू करने के संबंध में मुख्य लेखाधिकारी ने बताया कि तब नऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व विकास कर्मचारियों पर उपरोक्त पेशन नियमावली लागू थी तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उसके अन्तर्गत पेंशन प्राप्त होती थी। अधिनियम के निबन्धों के अनुसार जब तक सेवाशर्तें इतनी यदि के विनियम प्राधिकरण में नहीं बन जायें तब नगर महापालिका अधिनियम 1959 के अन्तर्गत बने नियम ही लागू रहेगें। नगर महापालिका अधिनियम 1959 के अन्तर्गत बने संबंधित नियमों में *Technical Amendment* जो आवश्यक है दिखा कर उनको गृहण किये जाना हैं। महापालिका सेवानियमावली में लिखित कर्मचारी की सेवाशर्तों को टिप्पणी में प्रस्तावित शर्तों के साथ ग्रहण कर लिया जाय और शासन को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाये।

(कार्यवाही मुख्य लेखाधिकारी)

मद सं०-24-

24-1 मुख्य लेखाधिकारी विकास प्राधिकरण के पद का कार्य कास्ट एकाउन्टेन्ट द्वारा देखने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास विनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत मुख्य लेखाधिकारी की नियुक्ति शासन द्वारा होती है किन्तु नियुक्ति बहोले के कारण विकास प्राधिकरण के अपनी बैठक दिनांक 4-2-75 की मद सं० 6 के अनुसार यह निर्णय लिया कि जब तक शासन किसी की नियुक्ति इस पद पर नहीं करता है तब तक लेखाधिकारी नगर महापालिका ही विकास प्राधिकरण के मुख्य लेखाधिकारी का कार्य भी करे रूहें। इस बीच प्राधिकरण में प्राधिकरण के कास्ट एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति हो गई जो लेखाधिकारी से उच्च पद है लेखाधिकारी, नगर महापालिका में से कार्य का स्थानान्तरण हो गया। इस परिस्थिति में मुख्य लेखाधिकारी के पद का कार्य भी प्राधिकरण के कार्यालय में कास्ट एकाउन्टेन्ट को कर

उनकी अपने स्वयं के कार्य से अतिरिक्त दे दिया गया है जो शासन द्वारा लेखाधिकारी नियुक्ति के पश्चात् स्वतः समाप्त हो जायेगा। औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाही-सचिव)

सं० 25-

25-1 तत्काल विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त डिसेम्बर के मूलांक के मुगताम हेतु शोधन निधि(सिंक्रिंग फण्ड) का गठन करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित मुख्य लेखाधिकारी को बताया कि उपरोक्त शोधन निधि के गठन हेतु 11 बैकों से आकर मांगी गये थे जिनमें इण्डियन ओवर सीज बैंक द्वारा जो शर्तें दी गई हैं वही प्राधिकरण के हित में उचित प्रतीत होती हैं। जिसे स्वीकृति कर लिया गया तथा मार्च, 1977 से शोधन लेख का मुगताम प्रारम्भ करते प्रायोजक की शर्तों की पूर्ति कर दी गई। विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि विशेष सचिव वित्त से परामर्श करते सरकार को स्थिति से सूचित कर दिया गया।

(कार्यवाही सचिव/मुख्य लेखाधिकारी)

सं० 26-

26-1 तत्काल विकास प्राधिकरण के हडको द्वारा वार्षिक योजनाओं के अंतिम पंचम चरण में 80 48-65 लाख का ऋण आवासीय निर्माण हेतु लेने के लिये बैंक गारंटी देने के संबंध में मुख्य अभियन्ता ने बताया कि गारंटी देने के लिये विभिन्न बैंकों से सम्यक्त आग्रह किया गया था तथा व्यक्तिगत रूप से बात-चीत करने के उपरान्त कनारा बैंक के कुछ शर्तों पर गारंटी देना स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में समस्त कार्यवाही की स्वीकृति प्रदान करने एवं अनुबंध इत्यादि पर हस्ताक्षर करने हेतु सचिव विकास प्राधिकरण को अधिष्टित किया जाय। विचार विमर्श पश्चात् निश्चय किया गया कि उपरोक्त अंतिम योजना में हडको द्वारा वार्षिक योजनाओं के पंचम चरण में केवल 80 48-65 लाख का ऋण आवासीय निर्माण हेतु तथा पाण्डेय का ताताब योजना के लिये सचिव विकास प्राधिकरण का बैंक गारंटी तथा अनुबंध आदि पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिष्टित किया जाता है।

(कार्यवाही सचिव)

सं० 27-

27-1 भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना लागू किये जाने के संबंध में मुख्य लेखाधिकारी ने बताया कि शासनादेश सं० 195 डी-9-1-77-322 (एन)76 दिनांक 31-3-77 के अनुसार यह योजना विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों पर भी लागू केतव अवधि मार्च, 1977 पेड-ह-अप्रैल 1977 से लागू की गई है जिसकी औपचारिक स्वीकृति विकास प्राधिकरण से प्रदान की।

(कार्यवाही-मुख्य लेखाधिकारी)

सं० 28-

28-1 मुख्य अभियन्ता विकास प्राधिकरण के पद पर श्री एसपीएमएल की नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई। श्री मुन्ना अपने महापातिका के कर्तव्यों के साथ-साथ जब तक इस पद पर प्राधिकरणमें नियुक्त नहीं होती मुख्य अभियन्ता का कार्य देखेगा। जिसके लिए कोई अतिरिक्त वेतन अनुमान नहीं होगा।

(कार्यवाही सचिव)

मद सं०-29-

29-1 विकास प्राधिकरण की रोज-रोज के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में विचारणा एवं निर्णय लेने के लिये विकास प्राधिकरण की उपसमिति का गठन करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। उपाध्यक्ष ने बताया कि विकास प्राधिकरण कार्यों में इति गति लाने के लिये निम्न लिखित तीन उप-समितियां बनानी आवश्यक प्रतीत होती हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों में शीघ्र निर्णय लेने में सहायक होगी:-

1- **प्लानिंग उप-समिति,**

यह उप समिति मास्टर प्लान में भू-उपयोग के परिवर्तन के मामले छोड़कर प्लानिंग तथा भवन विभाग में आने वाले अन्य सभी नीतियों संबंधी ~~प्लानिंग तथा भवन~~ विभाग में आने वाले अन्य सभी नीतियों संबंधी समस्याओं पर मार्ग निदेशन करेगी।

2- **अभियन्त्रण उप-समिति:**

यह उप समिति अभियन्त्रण विभाग के 10 ~~लक्षखरब~~ से ऊपर के व्ययानुमान के जंचने एवं समय समय पर कार्य की प्रगति और उनकी क्वालिटी का मूल्यांकन करने, किसी मामला विशेष को तकनीकी आडिट सेल में भेजने आदि का कार्य करेगी।

3- **वित्त उप-समिति:**

यह उप समिति प्राधिकरण के समझा समय समय पर उत्पन्न लेखा संबंधी समस्याओं का निराकरण करेगी।

इस संबंध में निश्चय किया गया कि ऐसी उप-समितियों बनाने से कार्यों में बजाय प्रगति के अवरोध उत्पन्न हो सकता है व योकि प्रस्तावित सदस्य एक साथ निश्चित समय पर उपलब्ध न होने से मामले अधिर्णीत रहें जिससे कार्य में प्रगति न हो सकेगी। इस संबंध में दिनांक 25-7-75 की बैठक में लिये गये निर्णय जिसमें यह निश्चय लिया गया था कि प्राधिकरण अपने अधिकारों का प्रतिनिधायन किसी भी उप समिति को नहीं कर सकता है की ओर भी आकृष्ट किया गया निर्णय लिया गया कि ऐसी उप समितियों का गठन न किया जाय किन्तु प्रगति समीक्षा, आवश्यक प्राविधिक वित्तीय परीक्षणों हेतु एक *steering committee* बनाने का प्रस्ताव रखा गया।

मद सं०30-

30-1 अतिरिक्त निम्नपूरक मदों पर विचार हुआ। (कार्यावाही-उपाध्यक्ष)

पूरक मद सं० 31-

31-1 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा विद्यालय सभा मार्ग तथा स्टेशन रोड के भू-उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में पिछली बैठक में लिये गये निर्णयानुसार पूर्ण क्षेत्र के सर्वे को आधार रखते हुए उपयोग परिवर्तन के संबंध में उनके पत्र सं० 7042/22 टी०पी०/लख नू जी०/टी०सी०जी०/77 दिनांक 4-6-77 के संबंध में निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पत्र में वर्णित तथा अनुसंधित निम्नप्रकार से भू-उपयोग में परिवर्तन किया जाय:-

1- आवासीय उपयोग से वाणिज्य या कार्यालय उपयोग में परिवर्तन तभी स्वीकार्य होगा जबकि प्लॉट का कुल क्षेत्रफल कम से कम एक एकड़ हो,

2- बी०एन० रोड तथा केन्ट रोड के चौराहे के बीच विद्यालय सभा मार्ग के दोनों ओर का क्षेत्र उपरोक्त प्रतिवन्ध के साथ कार्यालय उपयोग में किया जा सकता है।

3- केन्ट रोड तथा हुसैनगंज चौराहे के बीच मिथान सम्रा मार्ग के दोहो और का क्षेत्र उपरोक्त प्रतिबन्ध के साथ वाणिज्य (कामगिर्यत) उपयोग में किया जा सका है,

4- हुसैनगंज चौराहे से तेकर छितवापुर रोड चौराहे तक स्टेशन रोड की वर्तमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से काफी कम है। इस क्षेत्र में वाणिज्य या कार्यालय उपयोग में लाने से स्थानीय यातायात में काफी वृद्धि सम्भाव्य (फियर) है अतः विकट भविष्य में विकास के प्रस्ताव की विशेष सम्भावना नहीं है। मेरे विचार से इस भाग में तब तक भू-उपयोग परिवर्तन किया जाय जब तक इस हिस्से से सड़क को चौड़ा करने के लिये भूमि अधिग्रहण न करली जाय।

5- छतवापुर रोड चौराहे तथा गाजी दहदीव हैदर कैनाल के मध्य भाग में स्टेशन रोड के उत्तर में कार्यालय उपयोग तथा दक्षिण में वाणिज्य उपयोग करना उचित होगा। शासन को स्वीकृति हेतु संदर्भित किया जाय (कार्यवाही वरिष्ठ नगर नियाजत)

पूरकसंसद सं० 32- 32-1 कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा सठजी मन्डी बनाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के भू-उपयोग के परिवर्तन के संबंध में वरिष्ठ नगर नियोजक ने बताया कि उक्त प्रस्तावित सीतापुर रोड स्थित मण्डी समिति की भूमि से तबे 34.74 एकड़ भूमि जो मौगा अहिबरनपुर तथा पुरिया में पड़ती है, को ग्रीन वर्ण (ग्रीन बेल्ट) एवं आवासीय क्षेत्र से व्यापारिक उपयोग में बदलना है, निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजकद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण करने के पश्चात् जो संस्तुति को उसके अनुसार शासन से भूमि उपयोग स्वीकृत करने के प्रस्ताव भेजे जायें।

(कार्यवाही-मुख्य नगर नियोजक)

पूरक सं० 33- 33-1 यू०पी० स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तावित सरोवरी नगर औद्योगिक क्षेत्र के प्रस्तावित ले-आउट-प्लान को स्वीकृत के लिए पुनः विचारार्थ एवं औपचारिक निर्देश के संबंध में विचार किया गया। वरिष्ठ नगर नियोजक ने बताया कि उक्त क्षेत्र का प्रस्तावित ले-आउट-प्लान कन्टोलिंग प्राधिकारी की बैठक दिनांक 15-3-73 में स्वीकृति हुआ था तत्पश्चात् उन्होंने एक संशोधित ले-आउट प्लान जिसमें झुंखण्डों की संख्या 16 बढ़ा दी गई थी, प्रस्तुत किया जिसकी स्वीकृति के संबंध में विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19-2-77 के सं० 16 द्वारा इस मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिये मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को अधिभूत किया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 10-6-77 द्वारा बताया है कि विशेष रूप से छूट देते हुए अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। वरिष्ठ नगर नियोजक ने बताया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा उक्त संशोधित ले-आउट-प्लान की वी आवेदन पत्रों की सील लगाकर भेजी गई थी। निर्णय लिया गया कि विशेष रूप से छूट अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान की जाय।

(कार्यवाही-मुख्य नगर नियोजक)

प्रकरण सं० 34-

34-1 पाण्डेय व तालाब योजना में निम्न आय वर्गीय (एल०आई०जी) के 264 भवनों के निर्माण हेतु *हुडवे* से ऋण प्राप्त करने के संबंध में नगर अभियन्ता (विभाग-2) ने बताया कि विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-10, 76 द्वारा कर्त्ता मल्ल जहाँ एवं पाण्डेय व तालाब योजना में एल०आई०जी के 480 भवन बनाने हेतु हुडवे से 52, 81 लाख रुपये ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी उसमें से कर्त्ता मल्ल जहाँ योजना की भूमि शासन द्वारा किसी अन्य संस्था को हस्तान्तरित कर दी गई है। अब केवल पाण्डेय तालाब योजना में 264 भवन बनाये जाने हैं इस योजना की कुल लागत रु० 46, 47 लाख है। इसमें से *हुडवे* ने 324, 89 लाख रुपये 7, 25 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देना स्वीकार किया। हुडवे द्वारा उक्त ऋण प्राप्त करने तथा उस ऋण ऋण संबंधी अनुबन्ध करने की स्वीकृति विकास प्राधिकरण से वांछनीय है। निश्चय किया गया कि हुडवे द्वारा ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाय तथा इस योजना के अनुबन्ध आदि पर हस्ताक्षर एवं सील लगाने के लिये सचिव विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया जाय।

(बयार्वाही- सचिव)

प्रकरण सं० 35-

35-1 प्राधिकरण के पुरानी योजनाओं में कुछ आवंटित भूखण्डों के संबंध में विधिक विवाद उत्पन्न होने से उनके पट्टों में निष्पादन और कजा दिये जाने की स्खवट के संबंध में उपाध्यक्ष ने बताया कि योजनाओं में आवंटित भूखण्डों के बारे में कभी कभी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि भूखण्डों व आवंटन होने के पश्चात् प्रीमियम भी जमा करा लिये जाते हैं किन्तु खर्च उनके कजा देते समय विधिक अड़चने आ जाती हैं। ऐसे मामले कभी समय तक न्यायालय में विचाराधीन रहने के कारण आवंटी के आवंटित भूखण्ड नहीं दिया जा सकता। आवंटी ऐसी दशा में वैकल्पिक भूखण्ड की मांग करते हैं और वह *Specific Performance* का दावा भी कर सकते हैं।

विकास प्राधिकरण के पुराने व वर्तमान मूल्यों के देखते हुए इस समय यद्यपि अधिक हानि *Apparently* प्रतीत होगी कि *Equity & Justice* के आधार पर आवंटियों के वैकल्पिक भूमि देना उचित होगा। सम्भावित आर्थिक हानि भी यह देखते हुए कि वादों के उपरान्त जो भूखण्ड उपलब्ध होंगे वह वर्तमान मूल्यों पर बेचे जा सके, ऐसा होने में हानि भी सम्भावना न्यून है। आवंटियों द्वारा अगर दावे दायर किये जायें तो प्राधिकरण के मुद्दमें बाजी में भी फंसना पड़ेगा। इस काल व विषय पर प्रस्तुत टिप्पणी पर विचार के उपरान्त निर्णय लिया गया कि ऐसे आवंटी जिन्हें प्रीमियम लिया जा चुका है किन्तु विधिक अड़चनों के कारण कजा नहीं दिया जा सका है अगर वे मांग करें तो वैकल्पिक भूखण्ड किसी भी योजना में दे दिये जायें बशर्ते कि क्षेत्रफल पूर्व क्षेत्रफल से अधिक न हो। यदि वैकल्पिक क्षेत्रफल अधिक हो तो अतिरिक्त क्षेत्रफल व प्रचलित मूल्य लिया जायें।

(बयार्वाही- सचिव)

पूरक मद सं०- 36-

36-1 भूतपूर्व नगर महापातिका अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्डों के आवंटियों द्वारा भूखण्ड की रजिस्ट्री से पूर्व नाम परिवर्तन करने के संबंध में निश्चय दिया गया कि पूर्व आवंटित या नीलाम द्वारा आवंटित भूखण्डों की रजिस्ट्री केवल आवंटी अथवा उच्चतम बिडर के नाम ही की जायें।

ह०: वीरेन्द्र देव व्यास
(वीरेन्द्र देव व्यास)
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल एवं,
अध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

: - 0 - :

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक, जो दिनांक जुलाई 8, 1977 को अपराह्न/पूर्वाह्न 10-30 बजे विकास प्राधिकरण कार्यालय स्थित 6-मगदीश चन्द्र बोस मार्ग पर होगी, की

— : कार्य-सूची : —
संख्या क्या ? कहाँ ?

संख्या	क्या ?	कहाँ ?
1-	विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19-2-77 का पुष्टिकरण ।	पृष्ठ
2-	दिनांक 19-2-77 को हुई विकास प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णयों से संबंधित प्रगति आख्या ।	- पृष्ठ 3, 4
3-	मूल बजट वित्तीय वर्ष 1977-78 के संबंध में विचार-विमर्श	- पृष्ठ 5
4-	लखनऊ मास्टर प्लान पर अध्ययन, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उठाई गई शिकायतों पर विचार-विमर्श ।	- पृष्ठ 6
5-	निराला शिक्षा सेवा संस्थान को निराला नगर कालोनी में भूखण्ड संख्या सी/126 से सी/138 के सामने स्थित पार्क में से कुछ स्थान निकाल कर देने के संबंध में ।	- पृष्ठ 7
6-	यू० पी० स्टेट इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तावित अमोसी औद्योगिक के प्रस्तावित संशोधित ले-आउट प्लान की स्वीकृति के संबंध में ।	- पृष्ठ 8
7-	तात कटोरा रोड इन्फ्रस्ट्रक्चर स्टेट के प्रस्तावित संशोधित ले-आउट की स्वीकृति पर विचार ।	- पृष्ठ 9, 10
8-	राजकीय शाखा प्रेस हजरतगंज की स्थापना हेतु लालबाग मेट्रोनिटी सेक्टर के लिये अध्याप्ति भूमि का उपयोग परिवर्तन करने के लिये ।	- पृष्ठ 11
9-	अतीर्णज आवास योजना में महापालिका द्वारा प्रस्तावित स्कीम को जनता के लिये उपलब्ध लिये पुरितका में दिये गये सेट बैक के संबंध में ।	- पृष्ठ 12, 13
10-	पतंग वाले मैदान के विकास से संबंधित डेवलपमेन्ट प्लान, जो टास्क फोर्स द्वारा लिये गये निमेष पर बनाया गया है, पर विचार करने के संबंध में ।	- पृष्ठ 14
11-	लखनऊ विकास प्राधिकरण की कामन-सील तथा मोनोग्राम डिजायन की स्वीकृति के संबंध में ।	- पृष्ठ 15
12-	मोहल्ला हुसेनगंज बाग आइना लीबी स्थित अहता कामता प्रसाद मॉलिन बस्ती निपातन योजना के संबंध में शासनादेश संख्या- 4704/37-2-76/7एल ए/73 दिनांक 18-1-76 पर विचार ।	- पृष्ठ 16, 18
13-	तिरुपति तिरुमाता देवस्थानस (टी०टी०डी०) ट्रस्ट को कम्युनिटी सेक्टर के निर्माण हेतु भूमि देने के संबंध पर विचार ।	- पृष्ठ 19, 20
14-	हजरतगंज स्थित पुराने डाकखाने में ब्यावसायिक प्रतिष्ठान के संबंध में विचार ।	- पृष्ठ 21-23
15-	कानपुर रोड स्कीम के संबंध में प्रगति पर विचार ।	- पृष्ठ 24
16-	कामधेनु नगर योजना पर विचार करने के संबंध में ।	- पृष्ठ 25-27
17-	विकास प्राधिकरण द्वारा भवनों के अग्रभाग की मरम्मत तथा निश्चित रंग दिये जाने की योजना पर विचार ।	- पृष्ठ 28, 29
18-	अतीर्णज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के महापालिका सीमा के बाहर के हिस्से को अजित व विकसित करने पर विचार ।	- पृष्ठ 30-33
19-	अतीर्णज योजना में बन रहे 100 उच्च आय वर्गीय भवनों के अनुमान पर विचार ।	- पृष्ठ 34-35

- 20- अतीर्णज योजना में 100 मध्यम आय वर्गीय भवनों के निर्माण के संबंध में विचार । - पृष्ठ 36
- 21- अतीर्णज योजना में 248 अल्प आय वर्गीय भवनों का निर्माण के संबंध में । - पृष्ठ 37
- 22- श्री लीलाधर पूत के भवन की भूमि को अतीर्णज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के अर्जत से मुफ्त करने के संबंध में । - पृष्ठ 38
- 23- लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों पर लखनऊ नगर महा-पालिका कर्मचारी सेवा नियुक्त वेतन ग्रेज्युटी एवं जनरल प्राविडेंट फंड नियमावली 1962 लागू करने के संबंध में । - पृष्ठ 39, 40
- 24- कार्ट एकाउन्टेन्ट को मुख्य लेखाधिकारी का कार्य देखने के संबंध में विचार । - पृष्ठ 41
- 25- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा डिपेंडर के मूलधन के भुगतान हेतु शोरागिधि का गठन । - पृष्ठ 42
- 26- हडको मारट्टी के संबंध में विचार । - पृष्ठ 43
- 27- स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना लागू किये जाने पर विचार - पृष्ठ 44-47
- 28- मुख्य अभियंता, विकास प्राधिकरण के पद पर श्री एस०पी०गुप्त, की नियुक्ति का प्राधिकरण द्वारा औपचारिक स्वीकृति के संबंध में । - पृष्ठ 48
- 29- विकास प्राधिकरण के रोजू-बरोजू के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में विचारार्थ एवं निर्णय लेने के लिये विकास प्राधिकरण की उप-समिति का गठन करने के संबंध में । - पृष्ठ 49, 50
- 30- अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार प्रस्तुत कोई अन्य विषय ।

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19-2-77 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के
- : संबंध में प्रगति आख्या : -

मद सं० 2

विकास प्राधिकरण द्वारा सृजित लिपिकीय पदों पर नियुक्तियों की जा चुकी है। चौक क्षेत्र में स्टेडियम के निर्माण के संबंध में दिनांक 8-4-77 को विकास प्राधिकरण की उप समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लुडिविक पोर्टर ग्राउण्ड पर अब तक्कास की बाजार लगती है अतएव वह स्थल अब नहीं दिया सकता है। स्पोर्ट्स विभाग को यह कहा गया कि यदि वह चाहे तो विक्टोरिया पार्क में खेल का सामान आदि लगा सकता है। यह मैदान केवल स्पोर्ट्स विभाग के प्रयोग के लिये नहीं दिया जा सकता। वेतन सोसायटी के संबंध में शासन के समाज कल्याण विभाग से सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। इसी क्षेत्र उठोने निराला नगर के पार्क की जमीन दिये जाने का प्रस्ताव रखा था। शासकीय निर्देशानुसार यह पार्क की जमीन नहीं दी जा सकती है। यह मामला श्री राज्यपाल के निर्देशानुसार शासन की कठित टास्क फोर्स के समक्ष गया था जहाँ पर वेतन सोसायटी की प्रतिनिधि ने केवल निराला नगर की भूमि की माँग की। यह भूमि दिया जाना सम्भव नहीं है। वेतन सोसायटी का मामला अब समाप्त समझा जायगा। शेजापुर कसैला योजना की भूमि का अर्जन हेतु कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई है। प्राधिकरण द्वारा फ्लोट किये गये डिपेन्डर्स का सिंकिंग पण्ड बनाया जा चुका है। इसके बारे में विस्तार से आख्या अलग से रखी जा रही है। संशोधित बजट की आय के लक्ष्य के विपरीत 88.5 प्रतिशत आय हुई है, जो कि वर्ष 1975-76 के राजस्व आय से लगभग 65 प्रतिशत अधिक है। अतः इस दिशा में विकास प्राधिकरण ने सराहनीय कार्य किया है।

प्राधिकरण ने 789-00 (उब्बासी) लाख की अनुकित धनराशि को 10 वर्षों की सामान्य किश्तों में शासन को वापस करने का जो प्रस्ताव पारित किया था, उसके अनुसार प्रथम किश्त का भुगतान पिछले वित्तीय वर्ष में कर दिया गया। प्राधिकरण द्वारा विधि अधिकारी (ला आफिसर) के सृजित पद पर नियुक्ति के लिये तीसरा रिमेम्ब्रेसर से पत्र व्यवहार किया जा रहा है। प्राधिकरण में एक ही प्रकार के पदों के लिये दो प्रकार के वेतनमानों के होने पर विक्ला ब्यपत्त की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि वित्त तथा स्वायत्त शासन विभाग से जानकारी प्राप्त करके प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या प्रस्तुत की जाय। इस संबंध में यह सूचित करना है कि इसी बीच शासन ने इस विषय पर विस्तृत विचार करने के लिये एक टास्क-फोर्स का गठन किया है जिसके अध्यक्ष - प्रशासक, नगर महापालिका, आगरा है। शासन इस संबंध में सभी प्राधिकरणों के लिये विभिन्न पदों के वेतनक्रमों आदि को निर्धारित करना चाहती है और तभी (

) तदनुसार ही प्राधिकरण के समक्ष शासकीय निर्देश प्राप्त होने पर रखे जाय। यही बात उपाध्यक्ष तथा सचिव विकास प्राधिकरण के सचिवों के वेतनमान निर्धारित करने पर लागू होगा।

वियोजना विभाग में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अभियंतियों को नियुक्ति पत्र भेजे जा चुके हैं। इसे से केवल श्री सैयद मोहम्मद शाहिद, इन्फ्रस्ट्रक्चर ग्रेड प्रथम को छोड़कर शेष सब लोगों ने कार्य भार ग्रहण कर लिया है। बशीरत गंज सामान्य तथा गृह आवास योजना में राधानानी पोर्शन के विस्थापितों की समस्याओं को हल करने के लिए प्राधिकरण के निर्णयानुसार मामला तीमत रिमेम्ब्रेंस को भेजा जा चुका है। तीमत रिमेम्ब्रेंस ने कुछ अभिलेख मांगे थे वे उन्हें उपलब्ध करा दिये गये हैं। एन०आर० की राय प्राप्त होने पर शेष प्राधिकरण के निर्णय रखा जायगा।

तात कटोरा रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा दी गई थी यह सूचना संबंधित विभाग को उपलब्ध करा दी गई थी। करामत हुसेन गर्ल कॉलेज को प्राधिकरण के निर्णय से सूचित किया जा चुका है। साथ ही शासन को भू-उपयोग परिवर्तन प्राधिकरण के शर्तों के अनुसार किये जाने के लिये लिखा जा चुका है। शासन को इस संबंध में कुछ अन्य सूचना चाहिये है जिसे भेजा जा रहा है। लखनऊ मास्टर प्लान में सड़क की चौड़ाई से प्रभावित होते वाले अधिकृत निर्माण को शमन किये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर पिछली बैठक में विचार नहीं हो सका था। परन्तु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की राय लेकर प्रस्तुत करने के कहा गया था। बीच में अन्य प्रकार के शमनो के बारे में भी शंकाये व्यक्त की गई थी कि शमन किस दरों में और कितना किया जाय। चूंकि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः पहले इसे प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित उप समिति के समक्ष रखा जायगा और बाद में उप समिति की संस्तुति विकास प्राधिकरण के निर्णय रखा जायगा। सेरोजनी नगर औद्योगिक क्षेत्र का संशोधित लेआउट प्लान स्वीकृत करने के लिये प्राधिकरण ने मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश को अधिकृत किया था। उसके द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। स्टेशन रोड के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को अपनी राय प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने को कहा गया था। उनके द्वारा सर्वे प्लान मांगे गये थे उन्हें उपलब्ध करा दिये गये हैं। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अपनी राय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

172 गण्डम आय वर्गीय भवनों के विभाजन के संबंध में जिसकी स्वीकृति विकास प्राधिकरण द्वारा दी जा चुकी है, हंडको ने बैंक गारंटी की मांग की है। इस सम्बन्ध में सभी राष्ट्रीयकृत बैंको से सम्पर्क स्थापित किया गया और केनरा बैंक द्वारा 10 प्रतिशत मार्जिन-अनी पर पूरी धनराशि पर 12 वर्ष की गारंटी दी गयी है। बैंक इस गारंटी को देने के लिये प्राधिकरण से आधा प्रतिशत की दर से वार्षिक लेवी। प्राधिकरण के 100 उच्च आय वर्गीय भवनों के टेण्डर मांगे जा चुके हैं और शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ किया जायगा।

R.N. Trivedi

(रमेश नारायण त्रिवेदी)

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

मद सं०- 3

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय :- मूल बजट वित्तीय वर्ष 1977-78 के संबंध में विचार-विमर्श
उपरोक्त विषय संबंधी अलग से आख्या तथा बजट प्रस्तुत किया
जा रहा है ।

- 0 - 0 -

214 स-4

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचाराधीन आख्या

विषय: लखनऊ मास्टर प्लान पर अध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा उठाये गये शिका पर विचार ।

अध्यक्ष विकास प्राधिकरण ने ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत अपील संख्या 22/सीए/198-94 रतन कुमार वरसेज प्रेसब्राईवठ अथारिटी के निर्णय दते समय निर्णय के पाग दों पर मास्टर प्लान के वैध होने पर शिका व्यक्त की है । निर्णय का संविकित संद प्रस्तुत है 1-

It has no where been published so far and it not available in Hindi which is the official langauge. It was mentioned that unless the authorised Hindi version has been made available and unless the prescribed formalities have been gone though, the master plan would not be deemed to be effective on 22.11.1974 an application was made by the appealant before the Chairman, Lucknow Development Authority requesting that the legal opinion about this contention may be obtained. The DGC was accordingly consulted and he gave an opinion., that the Master plan had no statutory basis so far. Reference has also made to he answer given by the Hon'ble Minister Sri Raj Mangal Pandey on the floor of the house on 14.8.1974 saying that the Master Plan for Lucknow town had still not been made final. It was stated before me on behalf of the prescribed authority that the then controlling Authority approved the plans in 1968 and forwarded them to the state government for approval. Such and approval was given by the state government on 27.1.1970 though, there after, there was no publication of the Master Plan as was required under the rules. It seems to me that the required action has still not been completed and at best it remains only doubtfull if the master plan has required a statutory basis " .

उपरोक्त निर्णय के कारण मास्टर प्लान की वैधता एक संदेह का विषय बन गया है अतः यह विषय विचारणीय है कि ऐसी परिस्थित में प्राधिकरण अपनी अग्रिम कार्यवाही करने में महायोजना को किस स्थित में रखे । यह मामला एल०बारा० की राय के लिये भी संदर्भित किया गया है जिनकी राय आने पर भी एल०सी०ए० में रखी जायेगी ।

ह० कै०पी० सिंह

वरिष्ठ नगर नियोजक

ह० आर०एन० त्रिवेदी

सचिव

प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

ह० एन०वी० लाल

६-६-७७

उपाध्यक्ष

आद स-५

तखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष रते जति हेतु आख्या

विषय:- विराता शिवा सेवा संस्थान हेतु विराता नगर कालोनी में प्लाट संख्या सी/126सेसी/136 के सामने स्थित पार्क में से कुछ स्थान निकाल कर विराता शिवा संस्थान को देने के विषय पर निर्देश तथा ऐसे कार्य में क्या नीति अपनाई जाय इस विषय पर पत्र प्रदर्शन।

विराता शिवा संस्थान इस समय एक आवासीय भवन जो उपरोक्त वणित पार्क के समीप है में कार्यरत है। विराता शिवा संस्थान के प्रबंधक विराता नगर स्थित प्लाट संख्या 391, 392 तथा 393 को खूत चलाने हेतु आवंटित करने का एक आवेदन पत्र 21.2.1974 प्रस्तुत किया उपरोक्त भूमि को किस आधार पर संस्थान को दिया जाये इस विषय पर पत्र प्रदर्शन करने हेतु प्रशासक महोदय ने दिनांक 17.5.74 को शासन से जावकारी मांगी व तदुपरोक्त उपरोक्त प्लाट जिनका क्षेत्रफल 10,101 वर्गफुट आता था प्रचलित मुख्य जो 10/प्रति वर्ग फुट के आधार पर रु 101,0101 निर्धारित किया गया था छूट के साथ प्लाटों का मूल्य रु50,000/ आया पुनः शासन को इस आग्रह के साथ भेजा गया कि नगर महापातिका अधिनियमकी धारा 129 की उपधारा 5 में केवल ऐसी भूमि ही छूट के साथ एलाट की जा सकती है जिसका मूल्य रु 10,000/ से कम हो अतः इसे शासन ही स्वीकृत प्रकृत करें।

पुनः शासन ने आवासीय क्षेत्र में भूमि उपलब्ध करने में कुछ संख्या व्यक्त की और यह जानना चाहा कि संस्था कैसी है, इसके पास कितना धन है और वह किस बैंक में है। उक्त सूचना एकत्र करने में कुछ समय लगा अतः पुनः अवांछित का विषय शासन द्वारा दिनांक 20.3.77 को लिखे गये पत्र जो प्रशासक तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को सम्बोधित था प्राधिकरण में उचित कार्यवाही करने का निर्देश दिये गये।

इसी बीच उपरोक्त वणित प्लाट वीनाम करने के तितिनुसार वीनाम कर दिये गये जो बाद में मंत्री महोदय के निर्देश के आधार पर वीनामी की जाती लगे जाते के पश्चात् स्थगित कर दिये गये है। उपरोक्त परिस्थित में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से विमर्श के आधार पर यह सुझाव रखा गया कि प्लाटों के समक्ष स्थित पार्क में कुछ जमीन निकाल कर संस्था को दिया जाये। ऐसा करने में पार्क के 100 मीटर के कुछ स्थान को खूता ही रखने का सुझाव दिया है इसे भी जांच लेना चाहिये तत्पश्चात् यह निर्णय लेना होगा कि क्या खूत को पार्क की भूमि आवंटित की जाये यदि हाँ तो उसका क्या दर रखा तथा पार्क में से भूमि देने के कारण पार्क तथा इस भूखंड के बीच एक लेन रखना आवश्यक हो जायेगा जिसका व्यय भी प्लाट पर रखना होगा तथा उस पर जो व्यय होगा उसे क्या प्लाट पर रखा जायेगा ? इन सभी विद्बुओं पर प्राधिकरण के निर्देश की अपेक्षा की गई है जिससे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके। प्राधिकरण का अब तक मत पार्क व खूते स्थानों की भूमि व दिये जाने का ही रहा है व ऐसे प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर अब किसी संस्था को इस आधार पर भूमि मना किया जाता असंभव हो जायेगा।

ह0/- के0पी0सिंह,
वरिष्ठ नगर नियोजक,
तखनऊ विकास प्राधिकरण,
तखनऊ। 7-6-77

ह0/- आर0एन0त्रिवेदी,
सचिव
तखनऊ विकास प्राधिकरण,
तखनऊ। 7-6-77

प्राधिकरण के समक्ष
प्रस्तुत किया जाय।
ह0/- उपाध्यक्ष,
तखनऊ विकास प्राधिकरण
7-6-77

अप सं = 7

तखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय : ताल कटोरा रोड इण्डस्ट्रियल स्टेट के प्रस्तावित संशोधित ले-आउट प्लान की स्वीकृति पर विचार ।

सारांश : ताल कटोरा रोड इण्डस्ट्रियल स्टेट का एक ले-आउट प्लान विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 2-4-74 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था । इस ले-आउट प्लान की स्वीकृति के पश्चात् इण्डस्ट्रीज विभाग ने विकास कार्यों हेतु एग्जिमेन्ट करने से पूर्व ही एक संशोधित ले-आउट प्लान पुनः दाखिल कर दिया । इस ले-आउट प्लान में मूल ले-आउट प्लान से प्लॉटों की संख्या बढ़ा दी गयी, जो नीचे दी जा रही है :-

<u>मूल ले आउट प्लान</u>	<u>संशोधित ले आउट प्लान</u>
1- ए० टाइप प्लॉट सं० 78	ए० टाइप प्लॉट सं० 66
2- बी० टाइप प्लॉट सं० 7	बी० टाइप प्लॉट सं० 6
3- सी० टाइप प्लॉट सं० 3	सी० टाइप प्लॉट सं० 10
4- डी० टाइप प्लॉट सं० 4	डी० टाइप प्लॉट सं० 16
5- ई० टाइप प्लॉट सं० 14	ई० टाइप प्लॉट सं० 13
6- एफ० टाइप प्लॉट सं० 14	एफ० टाइप प्लॉट सं० 12
7- एविजस, गेज, पोस्ट आफिस, कैंटीन, ब्रेक आदि का प्रयोग भी दि- खाया गया है।	अन्य प्लॉट ————— 2 एविजस की गेज को भी प्लॉट बना कर तथा कुछ प्लॉटों को बड़ा कर दिया गया है।
<u>कुल योग - - - - - 120</u>	<u>कुल योग - - - - - 135</u>

संशोधित ले आउट प्लान में प्लॉटों की लाइनों एवं सैट बैक में भी परिवर्तन हो गया है । मूल ले आउट प्लान में सैट बैक सामने, पीछे एवं साइड में क्रमशः 15-15-15 रखे गये थे जो अब 20-2 एवं 10 रखे गये हैं, जिसकी स्वीकृति मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की राय दिनांक 29-4-77 द्वारा प्राप्त हो गयी है। (प्रतिलिपि संलग्न है) संशोधित ले आउट प्लान में प्लॉटों की सं० 108 लिखी है जिसे 135 होना चाहिये एवं सैट बैक रेल के अनुसार मार्क नहीं है जिन्हें ठीक करा लिया जायेगा ।

उत्तरी रेलवे की रिपोर्ट दि० 28-4-77 के अनुसार रेलवे लाइन के मध्य से 100 फुट दूरी देना तरफ छोड़ना अनिवार्य है जबकि मीटिंग दिनांक 29.6.72 की प्रोसीडिंग के अनुसार रेलवे की दोनों तरफ 40 फुट दूरी तक भूमि है एवं उसी के अनुसार 40 फुट दूर छोड़कर मूल ले आउट प्लान स्वीकृत हुआ था वही 40 फुट दूरी अब भी दिखाई गई है ।

अतः विकास प्राधिकरण के विचारार्थ एवं आदेशार्थ उपरोक्त संशोधित ले आउट प्लान

प्रस्तुत है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। अतः इस ले आउट प्लान की स्वीकृति के पश्चात् एग्जिस्ट तथा ले आउट प्लान ठीक कराने आदि की कार्यवाही की जायगी।

(
हो—
बगर अभियन्ता (भवत)

(के०पी०सिंह)
वरिष्ठ बगर नियोजक

(आर०एच०त्रिवेदी)
सचिव

विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

उपाध्यक्ष

द संख्या:- ८ विषय:- राजकीय शाखा प्रेस हजरतगंज के स्थापना हेतु लालबाग में मेटरलिटी सेक्टर के लिये अध्याप्त भूमि का उपयोग परिवर्तन करने के विषय में विचार।

संयुक्त सचिव उद्योग ३ अनुभाग अपने पत्र संख्या 1958 पी०एस/18-8-109(14) पी०एस/75 दिनांक अप्रैल 30, 1977 द्वारा यह सूचित किया है कि विधान संकल से सम्बन्धित समस्त मुद्रण कार्यवाही हेतु हजरतगंज स्थित प्रेस के विस्तार का निर्णय लिया है तथा इन्डियन पापुलेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेटरलिटी होम बनाने के लिये जो भूमि लालबाग में विधायक निवास के समीप स्थापित करने हेतु लिया गया था और जिस पर अब मेटरलिटी होम बनाने का विचार त्याग दिया गया है उसे प्रेस बनाने हेतु मेडिकल विभाग उपलब्ध करने को तैयार है अतः प्राधिकरण उक्त स्थान पर प्रेस बनाने हेतु स्वीकृत प्रदान करें। तथा यदि ऐसा करने में भू-उपयोग का परिवर्तन आवश्यक हो तो उसे भी किया जाये।

उपरोक्त क्षेत्र आवासीय उपयोग के लिये महायोजना में प्रस्तावित है अतः यदि इस क्षेत्र में एक बड़े प्रेस को लगाने की अनुमति प्रदान करनी है तो निश्चय ही इसका उपयोग परिवर्तन वाञ्छनीय है।

वर्तमान भू-उपयोग आवासीय 150 व्यक्ति प्रति एकड़ घनत्व से व्यापारिक अथवा औद्योगिक करना होगा जिससे उपरोक्त प्रेस लगाने की अनुमति दी जा सके।

ह०:-
वरिष्ठ नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

ह०:-
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

ह०:-
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

4/6
वरिष्ठ नगर नियोजक.

विषय :- अलीगंज आवास योजना में महापत्तिका द्वारा प्रस्तावित स्कीम को जनता के लिये उपलब्ध किये गये प्लान में प्रस्तावित सेट बैक में उठे स्टैंडार्ड पर विचार ।

महापत्तिका विकास कार्य-कारिणी की स्वीकृति के पश्चात् अलीगंज आवास आवास योजना के लिये एक प्लान जिसमें योजना सम्बन्धी विभिन्न नियमों के साथ भूमि पर भवन निर्माण हेतु कुछ शर्तें प्रस्तावित हैं । उपरोक्त शर्तें सन् 1972 में हैं, जिनमें विभिन्न विषयों के मुद्दों के लिये सेट बैक का प्राविधान किया गया है, जो निम्न प्रकार है :-

'ए'	7150 वर्गफुट	15'-0	10' तथा 6'-0	दोनों तरफ 10'
'बी'	6000 वर्गफुट	15'-0	10' तथा 6'-0	दोनों तरफ 10'
'बी-1'	4050 वर्गफुट	15'-0	6' तथा 6'-0	दोनों तरफ 10'
'बी-2'	3200 वर्गफुट	10'-0	6' एक तरफ	10'
'सी'	1800 वर्गफुट	10'-0	6' एक तरफ	10'
'डी'	1250 वर्गफुट (री टाइप)	10'-0		10'

कन्ट्रोलिंग एथारिटी, जो उस समय आर० बी० ओ० ऐक्ट के तहत शहर के विकास एवं भवन सम्बन्धी विभिन्न कार्यों पर नीति निर्धारित एवं डायरेक्शन देने की सक्षम एथारिटी थी, उसने अपने 4-4-70 की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये :-

"मास्टर प्लान में दिये हुये सेट बैक, कवरेज तथा वर्टिकल एक्सपोज़र के विषय पर विचार किया गया । मास्टरप्लान का बोटीफिकेशन हो चुका है । यह तय किया गया कि अब रेज़िडेन्सियल प्लानों में सेट बैक, कवरेज तथा आर० बी० ओ० ऐक्ट के डायरेक्शन 1960 आइटम नं० 19, 20, 22 के बजाय मास्टरप्लान में दिये गये सेट बैक कवरेज तथा ऊँचाई लागू होगी । परन्तु यह निर्णय तब महापत्तिका की मौजूदा कालोनियों में लागू न होता, क्योंकि इन कालोनियों में अधिकतर मकान बर चुके हैं और विहिंग लाइन में समानता होना आवश्यक है । अतः तब महापत्तिका को इन कालोनियों में सेट बैक, कवरेज इत्यादि उसी प्रकार छोड़ा जायगा जैसा कि अब तक छोड़ा गया है । "

उपरोक्त निर्णय के आधार पर अलीगंज के लिये बनावे गये शर्तों में मास्टर प्लान में दिये गये डायरेक्शन, जो सेट बैक, कवरेज तथा वर्टिकल एक्सपोज़र के विषय में थे, स्वतः लागू होना चाहिये । सम्भवतः किसी कारणवश उनमें कुछ परिवर्तन किया गया । नियमानुसार न होने के कारण इसके स्थान पर मास्टरप्लान के सेट बैक अलीगंज में भवनों के बनावे के लिये स्वीकृत किये जायें । इन सेट बैकों को माना जाना नियमानुसार प्रतीत होता है । अतः इसे स्वीकृत किया जाय । शहर का विकास

भी मास्टरप्लान में दिये गये सुझावों के अनुसार ही किया जा रहा है । यह मास्टर प्लान शासन द्वारा 1970 में स्वीकृत किया जा चुका है, लेकिन इस विषय पर अथर्व, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ट्रिब्यूनल की हैसियत से अपील संख्या 28/सी०ए०/74-75 में यह माना है कि चूंकि मास्टरप्लान का प्रकाशन दिल्ली में शासन की स्वीकृति के बाद नहीं किया गया है । अतः इसका विधिक आधार (*Statutory basis*) नहीं है । विषय विकास प्राधिकरण के समस्त विचारार्थ व निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

ह०/- एस० पी० गुप्त,
मुख्य अभियंता

ह०/- आर०एन० त्रिवेदी
सचिव ।

विकास प्राधिकरण के समस्त विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

ह०/- एन० बी० ताल,
उपाध्यक्ष ।

दीक्षित/-

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विद्यार्थ आख्या

अ.सि- 10

विषय:- पतंग वाले मैदान के विकास से संबंधित डेवलपमेंट प्लान जो टारु फोर्स द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर बनाया गया है, पर विचार हेतु ।

पतंग वाला मैदान मेडिकल कॉलेज तथा गोमती नदी के बन्दे के बीच का क्षेत्र है जो गोमती नदी के नियंत्रण हेतु बनाए गए बन्दे के कारण अब सुरक्षित रूप शहर को उपलब्ध हो गया है। उपरोक्त क्षेत्र एक पार्क के रूप में विकसित करवा है, ऐसा निर्णय लिया गया था तदनुसार एक टारुफोर्स स्थापित किया गया जिससे अपनी विभिन्न बँटों में इस क्षेत्र के विकास हेतु सुझाव दिये। उपरोक्त सुझाव के आधार पर इस पूरे क्षेत्र का जो कि पहले काफी लीचा और गड़ढे के रूप में था, जिसमें हमेशा पानी भर जा या करता था, कुड़े द्वारा भर कर सड़क के लेवल से ऊँचा कर दिया गया है तथा अब इसे एक सुलियोजित पार्क का रूप प्राप्त द्वारा उपलब्ध किये गये धन से प्रस्तावित है। उपरोक्त क्षेत्र में यह प्रयत्न करवा है कि जहाँ एक तरफ लखनऊ की धनी बसी आबादी को अच्छा सुता स्थान उपलब्ध हो सके वहीं इस क्षेत्र में स्थित मुसलिम आर्मी क्वार्टर का परिवर्तन इस में दिखायी पड़े। कुड़े के भराव के कारण टारु फोर्स के सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि अभी इस में कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर बनावे पर उसके फेर कर जाने का भय है अतः रोड साइड पर रेलिंग तथा अच्छे फूल वाले पेड़ प्रस्तावित किये जाये और भीतरी क्षेत्र में पार्क की जमीन पर विभिन्न लेवल पर विकसित किया जाये। इस कार्य के लिये एक प्लान विकसित किया गया है जिस में स्थित के अनुसार विभिन्न लेवल जो इस क्षेत्र के विकास के लिये अच्छे होंगे, बना दिये गये हैं।

हो-
वरिष्ठ नगर नियोजक,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

हो-
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

हो-
उप निदेशक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

विकास प्राधिकरण हेतु आव्या

~~संख्या 4704/37-2-76-17 एत०ए०/73 दिनांक 18/11/76~~

विभाग: -

अर्जन विभाग

विषय: -

मोहला हुसैनगंज (बाग आईना बीबी) स्थिति अहाता कामता प्रसाद क्षेत्र में मलिन बस्ती बिपा-तनद योजना के संबंध में प्राप्त शासनादेश संख्या 4704/37-2-76-17 एत०ए०/73 दिनांक 18/11/76,

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 2/4/75 में मोहला हुसैनगंज (आईना बीबी बाग) में अहाता कामता प्रसाद क्षेत्र जिसमें लगभग बी०५-६-२५। भूमि सम्मिलित है तथा जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है पर एक मलिन बस्ती बिपा तनद योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया था।

उत्तर: -

खसरा सं० 282, बंगला ; डा० त्रिवेदी बहादुर , खसरा सं० 383, भवन श्री विशु, खसरा सं०-384, भवन श्री इकवाल बहादुर, खसरा सं० 385, भवन श्री श्रीराम, खसरा सं० 290, रास्ता ; खसरा सं० 363 व 364 भवन श्री पी०एस० त्रिवेदी।

दक्षिण: -

खसरा सं० 354, पक्का रोड़ा।

पूरब: -

खसरा सं० 354, पक्का रोड़ा।

पश्चिम: -

खसरा सं० 354, पक्का छितवापुर रोड़ा।

उपरोक्त भूमि के अर्जन हेतु भूमि अर्जन एक्ट की धारा 4(1) तथा 6(1) के अन्तर्गत नो-टिफीकेशन जारी करके कलेक्टर लखनऊ को अर्जन कार्यवाही प्रारम्भ करनेके आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध शासन से किया गया था तथा उस विषय में शीघ्रता करके हेतु स्मरण पत्र भी भेजे गये थे। शासन से प्राप्त शासकीय आदेश सं० 470/37-2-76-17 एत०ए०/73 दिनांक 18/11/76 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा मुख्या सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही के उद्घरण की ओर आकर्षित करते हुए यह सूचित किया गया है कि कुछ उक्त योजना के संबंध में अभी तक भूमि अर्जन की कार्यवाही शुरू ही नहीं हुई है। इस लिए विकास प्राधिकरण उक्त योजना के लिए कोई अन्य भूमि तलाश करने की कार्यवाही करें। इस प्रकार प्रश्नगत स्थल पर विकास प्राधिकरण की उक्त योजना समाप्त हो जाती है।

अतः शासन द्वारा प्राप्त शासकीय आदेश संख्या 4704/37-2-76-17-एत०ए०/73 दिनांक 18/11/76 विकास प्राधिकरण को सूचना प्रस्तुत है।

ह०/-

नगर अभियन्ता (विकास)

यह विषय विकास प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने की कृपा करें।

प्रतितिपि
=====

गोपनीय,
अध्यापक पत्र सं० 4704/37-2-76-7-एल०ए०/73
निवास अनुभाग-2
लखनऊ दिनांक 18 नवम्बर, 1976,

प्रिय श्री शाह,

मोहल्ला हुसैनगंज स्थित हाता कामता प्रसाद क्षेत्र कोमलिन
बरती निपा जल योजना के संबंध में सचिव, विकास प्राधिकरण लखनऊ का पत्र संख्या
टी०/362/ए०सी० दिनांक 26 जून, 1976 का कृपया अवलोकन करें।

2- इस संबंध में मुझे आपका ध्यान दिनांक 15 जून 1976 को
कटौत रूप में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही के संलग्न
उद्धारण की ओर आकर्षित करने और यह कहने की अपेक्षा हुई कि चूंकि योजना के
संबंध में अभी तक भूमि अर्जन की कार्यवाही शुरु ही नहीं हुई है इस लिए विकास
प्राधिकरण उक्त योजना के लिए कोई अन्य भूमि तलाश करने की कार्यवाही करें।

भवविष्ट,

ह०/

(ओम प्रकाश)

श्री राजीव रत्न शाह,
उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण (नगर महापातिका)
लखनऊ

True Copy
Attested
sh
16/11/76

COPY

Item: 12(3)

MINUTES OF THE MEETING HELD UNDER THE CHAIRMANSHIP OF THE CHIEF SECRETARY TO CONSIDER WAYS AND MEANS TO INCREASE FLOW OF FUNDS FROM L.I.G. INTO THE STATES.

Date: June 15, 1976

Venue Control Room Sachivalaya, Lucknow.

PRESENT:

1. Sri Mahmood Butt Chief Secretary, U.P.

5. XXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX

As regards the Chitwapur Scheme of the Co-operative Society the information was that acquisition proceedings have already been completed with the issue of note under section 17 of Land Acquisition Act. Sri Saxena disputed this information. The Chief Secretary asked that actual position be ascertained by the Commissioner & Secretary LSG and in case the proceedings were incomplete the Nagar Mahapalika should be advised to look for some other land.

XXX XXX XXX XXX

Dikshit/-

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

314 स-13

तिरुमात्ता
तिरुमात्तो देवस्थानम् (टी०टी०डी०) बोर्ड अफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष श्री

ने मार्च 76 ने महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश से यह प्रार्थना की थी कि टी०टी०डी० लखनऊ ने एक केन्द्र स्थापित करना चाहता है जिसमें उक्त संस्था द्वारा स्थापित लखनऊ को लागन से एक कम्युनिटी सेन्टर का निर्माण कराया जायेगा। महामहिम राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश शासन को यह आदेश प्रदान किये कि नगर महापालिका से उपरोक्त संस्था हेतु भूमि Easement करने के निर्देश जारी कर दिये जाय।

लखनऊ शहरने इस समय केवल दो आडिटोरियम ऐसे है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए उपलब्ध हो सकते है (1) रवोन्द्रालय (2) नारी कला मंदिर। उपरोक्त दोनों आडिटोरियम शहर के घने बसे क्षेत्र में है। पिछले कुछ वर्षों में शहर का विकास गोमती के दूसरी ओर काफ़ी हुआ है और आज के आर्थिक एवं सामाजिक मापदंड से यह क्षेत्र इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए उपयुक्त है। टी०टी०डी० के अध्यक्ष श्री राव स्थल का चयन करने हेतु लखनऊ दिसम्बर, 76 में आये थे। उन्हें महानगर विस्तार योजना तथा अलीगंज योजना में कम्युनिटी सेन्टर हेतु सुरक्षित भूमि दिखाई गयी थी। श्री राव ने महानगर विस्तार योजना की भूमि को उपयुक्त बताते हुए 1-35 एक्ड़ (58806 वर्ग फुट) भूमि को मांग की है। योजना की भूमि की रकम 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से देने की सूचना श्री राव को दी गयी थी। श्री राव ने इका व्यक्त की है कि इस कम्युनिटी सेन्टर का निर्माण उस क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए किया जायेगा जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा विवाह आदि के लिए इस क्षेत्र के निवासियों की सुविधा प्राप्त हो जायेगी। अतः यह भूमि टी०टी०डी०की रकम 5/- प्रति वर्ग फुट की रियायती दर से दे दी जाय।

महानगर विस्तार योजना ने कम्युनिटी सेन्टर हेतु सुरक्षित भूमि का क्षेत्रफल 39,710 वर्ग फुट है जोकि तिरुमात्ति देवस्थानम् को मांग से कम है। नवीन के अध्ययन के उपरान्त यह पाया गया कि जितना क्षेत्रफल महानगर विस्तार योजना के मूल ले आउट प्लान के कम्युनिटी सेन्टर के लिए दिखाया गया है उसी में से 5070 वर्ग फुट भूमि पर पार्किंग की व्यवस्था का प्राविधान कर दिया गया है। पार्किंग के लिए इस क्षेत्र में और भी स्थल उपलब्ध है अतः इस क्षेत्रफल को कम्युनिटी सेन्टर के साथ जोड़ने पर अब कुल 44,780 वर्ग फुट भूमि उपलब्ध है। कम्युनिटी सेन्टर हेतु सुरक्षित क्षेत्र के उत्तर की ओर पार्क है तथा यह दोनों क्षेत्र एक मार्ग द्वारा विभक्त है।

तिरुपति देवस्थानम को महानगर विस्तार योजना में एक दानोत्तर संस्था के रूप में कम्युनिटी सेंटर के निर्माण करने हेतु १-३५ एकड़ भूमि (५५०६ वर्गफुट) चाहते हैं जबकि स्थल पर केवल ४४७०० वर्गफुट भूमि ही उपलब्ध है। अतः यदि देवस्थानम को १-३५ एकड़ भूमि दी जाती है तो शेष भूमि कम्युनिटी सेंटर हेतु सुरक्षित भूमि के उत्तर की ओर स्थित मार्ग एवं पार्क से भूमि उपलब्ध करानी होगी। उक्त संस्था को इस कार्यालय के पत्र संख्या ३१८१।न०अ०वि० दिनांक ३०-४-७७ द्वारा ४४७०० वर्गफुट भूमि रु० ५।- प्रतिवर्गफुट रियायती दर में प्रीमियम लेकर पट्टे पर दिये जाने से संबंधित विषय को आगामी लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति हेतु रखने के संबंध में सूचित किया गया था परन्तु तिरुपति देवस्थानम के इन्जीनियरिंग आफिसर श्री राजू ने यह सूचित किया कि महानगर विस्तार योजना में उनकी संस्था को नामिनल लीज रेंट पर ६६ वर्ष हेतु भूमि पट्टे पर दी जाय। अतः विषय को विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्री. लक्ष्मी
नगर अभियन्ता (विकास)

यह विषय विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

मुख्य अभियन्ता
१/६/७७

६०/आर०एच०/०१०१०१
सचिव
०१/६/७७

६०/एच०/०१०१०१
उप-सचिव
१/६/७७

म 4/10-15

लखनऊ कानपुर रोड नगर प्रसार योजना की प्रगति आख्या

लखनऊ कानपुर नगर प्रसार योजना जिसमें शारदा कैनल कानपुर रोड, रायवरीली रोड तथा हवाई अड्डा के मध्य लगभग ४००० एकड़ भूमि अर्जित करना प्रस्तावित है। फिलहाल कानपुर रोड वायरलेस स्टेशन तथा शारदा कैनल के बीच लैंड एक्वीजिशन एक्ट की धारा ४ (१) व १७ (१) के अन्तर्गत लगभग ५६५ एकड़ भूमि अर्जित की जा रही है जिसमें से दिनांक २१-५-७७ की लगभग ३०६ बीघा ६ विस्वा १ विस्वासी ४ कच्चासी (लगभग ६६३-४६ एकड़) भूमि का कब्जा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। इस क्षेत्र में ट्रांसपोर्टनगर संलग्न मानचित्र के अनुसार बनना प्रस्तावित है।

उमर अमन सिंह
६/६/७७
नगर अभियन्ता (विकास) (१)

इसे लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत किया जाये।

मुरख
मुख्य अभियन्ता

214/10-14

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

ऑल्ट पोस्ट आफिस हजरतगंज में एक बहुसंखी कामसियल कॉम्प्लेक्स की योजना रु० ११६ लाख की बनायी गई थी। इस योजना की आर्चीटेक्चरल तथा स्ट्रक्चरल डिजाईन लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक २५ जूलाई, ७५ में लिये गये निर्णयानुसार क्रमशः मुख्य एवं नियोजक, उत्तर प्रदेश तथा श्री (डा०) आँ०पी०एम हेड आफि सिविल इंजीनियरिंग विभाग, लखनऊ यूनिवर्सिटी से कराये गये हैं। इस योजना हेतु सेंट्रल बैंक से ६५ लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है।

जूलाई १६७६ में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा डा० आँ०पी०एम ने प्राप्त प्रारंभिक डिजाईन के आधार पर सिविल वर्क्स का एक ठगयानुमान लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा रु० ७१-२७ लाख का बनाया गया तथा यह ठगयानुमान मैनेजिंग डाईरेक्टर, जल निगम की जांच हेतु भेजा गया था जल निगम ने अपने पत्र दिनांक २३-८-७६ द्वारा यह सूचित किया कि इस प्रकार के ठगयानुमान की जांच की कोई व्यवस्था उनके विभाग में नहीं है। चूंकि इस योजना हेतु रु० ६५ लाख का ऋण स्वीकृत हो चुका है तथा योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब हो रहा था इस कारण

आदेशानुसार यह कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराये जाने से संबंधित विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक १५ अक्टूबर, ७६ में रखा गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यह कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया जाये।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से योजना की लागत के संबंध में भी कार्य कराने से पूर्व जानकारी प्राप्त की गई थी जिसके संबंध में मैनेजिंग डाईरेक्टर। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने अपने पत्र दिनांक १२-१०-७६ द्वारा यह अवगत कराया कि लगभग तीन वर्ष पूर्व अर्शाक मार्ग पर पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा बनाई जा रही बहुसंखी भवन में लगभग निम्नलिखित स्कीन्थ हरिया दो आती है।

१- सिविल वर्क्स	४३३।- प्रति स्क्वा० मी०
२- मैनेटरी गण्ड वाटर सप्लाई	१५।- " "
३- फाउ फाईटिंग	१७।- " "
४- साईट डेवलपमेंट	१६।- " "
५- इन्टरनल विंग	८२९- " "
६- सब स्टेशन	८५।- " "
७- लिफ्ट	७५।- " "

मैनेजिंग डाईरेक्टर ने साथ में यह भी लिखा था कि अब जो यह निर्माण करेंगे उसकी भी लागत लगभग यही आयेगी। लागत में केवल थोड़ी बहुत ही वृद्धि होने की संभावना है।

-2-

चूंकि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम एक अपी शासकीय संस्था है अतः उनको यह कार्य हम शर्त के साथ दे दिया गया था कि कागजी पर जो भी लागत आयेगी वह तथा उस पर १५ प्रतिशत गैन्टेज चाँज लखनऊ विकास प्राधिकरण को देने होंगे।

अब स्थित यह है कि निर्माण निगम द्वारा यह कार्य संपादित कराया जा रहा है तथा चाँके मंजिल तक का फ़ैम स्ट्रक्चर पूर्ण हो चुका है अब तक लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा रु० ५६ लाख निर्माण निगम को दिया जा चुका है। निर्माण निगम के मैनेजिंग डाइरेक्टर के उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार पूरे सिविल वर्क्स की लागत का लगभग ५७ लाख रुपये के लगभग आनी चाहिये थी इस कारण सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के रुद्धा में निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ विचार विमर्श हुआ जिसमें यह निश्चय किया गया अब मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश शासन तथा डा०बी०पी०जेन के यहाँ से प्राप्त विस्तृत डिजाईन के आधार पर व्यय अनुमान तैयार किया जाय। निर्माण निगम ने योजना की पूरी लागत रु० ११२-४६ लाख आंकी है जिसमें (१) सिविल वर्क्स (२) सैनेटरी तथा विजली का कार्य (३) लिफ्ट का कार्य तथा अग्नि शमन से संबंधित कार्य सम्मिलित है। उपरोक्त लागत में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को देय १५ प्रतिशत गैन्टेज चाँज भी सम्मिलित है। मैनेजिंग डाइरेक्टर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के उपरोक्त संदर्भित पत्र में अंशित दरों के अनुसार उक्त ४ कार्यों पर कुल लागत ७२-⁷³ लाख आती है। सिविल वर्क्स का विस्तृत व्ययानुमान लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा तैयार किये गये हैं जिसमें लगभग ६ लाख रुपया मिलता है। इस भिन्नता की जाँच मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराई जा रही है। मुख्य अभियन्ता की जाँच के उपरान्त विवादरूपद विन्दुओं पर एक वार्ता उपाध्यक्षा, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा मैनेजिंग डाइरेक्टर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के स्तर पर की जावेगी यदि इसके उपरान्त भी कोई ऐसा विवादरूपद विषय शेष रहजाता हो तो वह अनुबंध की शर्तों के अनुसार आयुक्त एवं सचिव आवाम विभाग उत्तर प्रदेश शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, पी०डब्लू०डी० के समक्ष रूखा जायेगा। २२/५/७३ अतिरिक्त प्रुजी प्लान. पी०डी० रिवाइज्ड प्रुजी प्लान २०/७/७३ उपरोक्त आख्या लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

फ़ा. ००२१/७३
नगर अभियन्ता (विकास)

अप्या उपरोक्त विषय की विकास प्राधिकरण के समक्ष विचाराथ प्रस्तुत करने की स्वीकृति पदान करने की स्वीकृति पदान करने की कृपा करे।

ड०/ आर००२०/७३
सचिव

सुरज्य
२०/७/७३

ड०/- अम०बी०लाल
उपाध्यक्षा
१/६/७३

ABSTRACT OF REVISED ECONOMICS OF OLD POST OFFICE COMMERCIAL COMPLEX

(A) <u>Acquisition</u>		
(Paid for alternative accommodation for the dehousees)		Rs. 8.95 lacs
(B) <u>Development</u>		
(i) Demolition		Rs. 1.00 "
(ii) Site development		Rs. 2.50 "
(C) <u>Construction</u>		
(i) 51 side shops (actual)		Rs. 4.50 "
(ii) Shops towards Trilok Math Road	1155 Smt.	
(iii) Shops towards Hazaratganj	100 "	
(iv) Office block Towards Trilokmath Road.	1155 "	
	<u>2410 Smt. @450/- per Smt.</u>	Rs. 10.85 lacs
(iv) Multistoried complex (as quoted by U.P.R.I.I.)		Rs. 112.59 "
Power substation (I.S.S.)		Rs. 10.00
		<u>Rs. 150.29 "</u>
(v) Fee for preparation of Plan to C.T.E.B.		Rs. 87,716.00
(vi) ^{@ 1% of civil work} Fee for structural design to Dr. O.P. Jain		Rs. <u>76300.00</u>
		<u>Rs. 151.93</u>
	Total	Rs. 151.93

Sd. Shyanji
H.A. (V)(2)
4.6.77

TRUE COPY

HEAD (Left) (Left)
Hand/6/77

मह. प्रो-16

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

नागरिक सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, जानवरी के लिये वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन एवं गर्भावधान केंद्र की व्यवस्था करना तथा नगर निवासियों के लिये शुद्ध कीटाणु रहित दुग्ध उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर की सीमा पर कुर्की रोड पर १२ किलोमीटर दूरी पर एक फैटिल कालोनी स्थापित करने का निर्णय आयुक्त एवं सचिव, कृषि उत्पादन के कक्षा में हुई बैठक दिनांक १५-११-७६ में लिया गया था। वन विभाग की लगभग १३०० एकड़ भूमि पर कामधनुनगर की स्थापना की जावेगी। शासन में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि वन विभाग की यह समस्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण की ह० १।- वाणिज्यिक क्रियाएँ पर हस्तांतरित की जावेगी। फिलहाल इस योजना की ५५१ एकड़ भूमि पर कार्यन्वयन किया जायेगा। शासन के उपरोक्त निर्णयानुसार कामधनु नगर का लै आउट प्लान सैन्ट्रल विल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की द्वारा तैयार करा लिया गया है। १३०० एकड़ भूमि का मुख्य विभाजन निम्न प्रकार है :-

१- पशु कालोनी	६०० एकड़
२- आवासीय कालोनी	१०० "
३- पशुमैला तथा चरागाह	१०० "
४- चारे के क्षेत्र	१०० "
५- फायवर इन्फेस्टेशन	३०० "

६०० एकड़ की इस पशु कालोनी को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है। ३०० एकड़ भूमि के प्रथम भाग में नगर के अधिकारों जत संख्या को बसाया जायेगा। लै आउट प्लान में पशुओं के रहने के भूखंड क्लस्टर के रूप में है। तथा प्रत्येक क्लस्टर १०० फीट हरी चीड़ी पट्टी में विभक्त किया गया है। योजना में दो प्रकार के भूखंड हैं। प्रथम प्रकार के भूखंड २० जानवरी हेतु है ^{तथा प्रत्येक का} क्षेत्रफल ३६०-३३ वर्ग मीटर है इस प्रकार के कुल ६०० भूखंड हैं। द्वितीय प्रकार के भूखंड १० ^{जानवरी} हेतु है तथा ^{प्रत्येक का} क्षेत्रफल २२७-७० वर्ग मीटर है। इस प्रकार के कुल ७०० भूखंड हैं। लै आउट प्लान में भागों का नियोजन इस प्रकार किया गया है कि भूखंडों में जाने का रास्ता सामने की ओर से है जो सिर्फ नागरिकों के आवागमन हेतु प्रस्तावित है तथा पिछली तरफ जानवरी के लाने और ले जाने के लिये मार्ग अलग से प्रस्तावित है।

उपर्युक्त हस्ताक्षरों से यह विदित है कि इतनी बड़ी योजना में केवल ४-६६ लाख रुपये की वचत है जो कि नगण्य है तथा योजना मूल रूप से नॉ प्रॉफिट नॉ लास के आधार पर चलाई जायेगी। ए टाईप के मूँडों का मूल्य १६६४०१- व बी० टाईप के मूँडों का मूल्य १९५२०१- प्रस्तावित है। ए० टाईप के मूँड स्वामी से ५०००१- तथा बी० टाईप के मूँड स्वामी से ३०००१- अग्रिम लिया जायेगा। शेष ए टाईप के मूँड स्वामी से शेष १४६४०१- इमाही किश्तों के रूप में मय व्याज के साथ-साथ वरावर किश्तों में लिया जावेगा इसी प्रकार बी० टाईप के मूँड स्वामी का शेष वन ८५२०१- इमाही किश्तों में लिया जावेगा इसी प्रकार बी० टाईप के मूँड स्वामी का शेष वन ८५२०१- इमाही किश्तों में लिया जावेगा।

योजना का विकास दो सँडों में किया जावेगा। प्रथम सँड में ३०० एकड़ भूमि के प्रथम भाग को विकसित किया जायेगा। योजना में बनने वाले प्रशासनिक सँड (Administrative Block) का निर्माण प्रथम सँड में किया जायेगा। योजना में होने वाला व्यय डिबैन्चर से वहन किया जावेगा। इस योजना पर कुल १-६० लाख व्यय किये जा चुके हैं। शासन ने यह निर्देश दिये हैं कि दुधारू पशुओं को वैकल्पिक स्थान दिये बिना शिफ्ट नहीं किया जावेगा। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कामधेनु नगर (कैटिल कॉलोनी) के स्थापना के उपरान्त ही दुधारू पशुओं को शिफ्ट करना संभव होगा।

कामधेनु नगर की स्थापना कुर्मी रोड पर किया जाना प्रस्तावित है जिसके संबंध में यह निर्णय लेना है कि यह नगर केवल कुर्मी रोड पर ही बनाया जावे या शहर की अन्य सीमाओं पर भी निर्मित किया जावे।

अतः रु० ३१३-३६ लाख की कामधेनु नगर की योजना विकास प्राधिकरण के समक्ष स्वीकृताधी प्रस्तुत है।

K. M. Singh
२०/६/७७
नगर अभियन्ता (विकास)

इस लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत किया जावे।

J. Singh
२०/६/७७
मुख्य अभियन्ता

(27)

योजना की हकनामिकस के विस्तृत आकड़े निम्न प्रकार है :-

****ECONOMICS OF KAMDHENU NAGAR ****

		Project Cost	313.43 Lacs.
A.	<u>Cost of Development</u>	<u>Per Hect.</u>	<u>Total in Lacs.</u>
	1. Cost of land @ Rs. 40,919/-	40,919/-	91.24
	2. Site levelling etc.	1,000/-	2.23
	3. Roads and Drains	30,000/-	66.90
	4. Water Supply	15,000/-	33.45
	5. Electrification	10,000/-	22.30
	6. Storm water drain	15,000/-	33.45
	7. Land Scapana	2,000/-	4.46
	8. Administrative Block etc.	L.S.	5.00
			259.03
(b)	Supervisorys Administrative charges 10%.		25.90
(c)	Intrest on envestment on Dev. cost for Half of the project period 10% for one year.	L.S.	28.50
			Total cost 313.43---

Hence Cost of Land per Sqm =
 (Plot area = 70.36 sqm) = $313.43 \times 1 / 70.36 = \text{Rs. } 44.50 \text{ Sqm.}$

<u>Investment</u>	<u>Receipts</u>	<u>Lacs</u>
A. Rs. 313.43 Lacs	1. Advance Deposit	66.00
	2. Out right ale	60.43
	3. Instalment (257.96-66.0)	191.40
	4. Com. Plots Out sale.	- 0.56 -
	(B)	- 318.39 -

NET SURPLUS: A-B
 313.43-318.39
 = 4.96

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा -१२क की उपधारा २ के अन्तर्गत निम्न क्षेत्रों के भवनों के अग्रभाग की परम्पत तथा उनकी प्राधिकरण के द्वारा निश्चित रंग दिये जाने की योजना के अन्तर्गत लिया गया है :-

- १- हजरतगंज क्षेत्र
- २- लालबाग क्षेत्र
- ३- अमीनाबाद क्षेत्र
- ४- वी.एन.रोड
- ५- विधान सभा मार्ग पर त्रिलोकनाथ रोड से कान्य कुब्ज कालेज तक
- ६- स्टेशन रोड पर कान्य कुब्ज कालेज से मवेया तक
- ७- आलमबाग मवेया से शारदा कानाल तक
- ८- कैसरबाग क्षेत्र में चौराहे से म्यूजिक कालेज तक

उपरोक्त ८ स्थलों में से आईटम नं० १, २, ३ तथा ४ का कार्य पूर्ण हो चुका है विधान सभा मार्ग पर त्रिलोकनाथ रोड से हैविट रोड के चौराहे तक कार्य पूर्ण हो चुका है हैविट रोड से कान्य कुब्ज कालेज तक का कार्य अभी बाकी है। कान्यकुब्ज कालेज से मवेया विज्ञान केंद्र के कार्य रेलवे विभाग ने अपने सभी भवनों की प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रंग भी रंग दिया है। इसके अतिरिक्त महापालिका मार्केट से लेकर वस स्टेशन तक के भाग को प्राधिकरण ने रंग दिया है। बाकी कार्य अभी किया जाना है।

मवेया विज्ञान केंद्र से शारदा कानाल तक के भाग में शारदा कानाल से चन्द्र नगर मार्केट तक के कार्य को पूर्ण कर दिया गया है। चन्द्र नगर मार्केट से मवेया विज्ञान केंद्र का कार्य अभी बाकी है।

कैसरबाग क्षेत्र में अवध जिनदाना बल्लभ से केवल वार्ड और स्थित भवन ही रंग जा सके हैं। पश्चिम की ओर स्थित म्यूजिक कालेज सफ़ेद वारादरी अमीनुद्दौला लाहौरी इत्यादि भवन अभी तक नहीं रंगे जा सकते हैं।

यह कार्य अधिभोगियों के व्यय पर ही किया जा रहा है। इस संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों से जो धराशिल प्राप्त होनी है तथा जो धराशिल अब तक प्राप्त हुई है उसका विवरण निम्न है :-

क्षेत्र का नाम	खिमा-ह	कलेशन
१- हजरतगंज	रु० ३,२६,८६५।-	रु० १,६०,८१५।००
२- लालबाग	रु० ६४,४४५।-	रु० ४०,३८०।-
३- वी.एन.रोड	रु० ६४,०००।-	रु० २२,२५५।००
४- अमीनाबाद	रु० १,६६,२६४।-	रु० १,०७,३११।००

मद संख्या - 18

अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के महापालिका सीमा के वाद के हिस्से को अर्जित एवं विकसित करने पर विचार ।

लखनऊ नगर की आवासीय समस्या के समाधान में योगदान देने एवं निराकरण के उद्देश्य से तत्कालीन नगर महापालिका द्वारा अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना नामक एक योजना प्रस्तावित की गई थी तथा जिसके लिये उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम १९५६ (यू०पी०एक्ट २, १९५६) की धारा ३५७ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजकीय गजट दिनांक १७ मई १९६२ के भाग ८ में प्रथम बार योजना को विज्ञप्ति की गई थी जिसके अनुसार योजना की चौहद्दी संलग्न (क) व मानचित्र अनुसार थी ।

उपरोक्त योजना को पुनः उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम १९५६ (यू०पी०एक्ट नं० २ १९५६) की धारा ३६३ (1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश राजकीय गजट दिनांक २६ अप्रैल, १९६६ द्वारा की गई जिसके अनुसार उपरोक्त सम्पूर्ण प्रस्तावित योजना के उत्तर की ओर महापालिका सीमा तक ही कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई और इसके अतिरिक्त भूमि के विषय में कुल निर्णय नहीं लिया गया है ।

अलीगंज योजना में तुरंत कार्य प्रारंभ करने हेतु यह आवश्यक था कि योजना में अर्जित की जाने वाली भूमि का तुरंत कब्जा प्राप्त हो इसके लिये योजना की भूमि अधिनियम १९६४ (अधिनियम संख्या - १, १९६४) की धारा १७ की उपधारा (1) तथा (१-क) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश गजट १८, अप्रैल, १९७० में विज्ञप्ति की गई थी तथा इस प्रकार योजना की भूमि का कब्जा तुरंत लिये जाने का अधिकार प्राप्त हो गया । इस प्रकार महापालिका द्वारा निर्धारित सीमा तक अलीगंज योजना में विकास कार्य १९७३ में प्रारंभ किये गये ।

जैसा कि विदित है पिछले वर्षों में अलीगंज योजना में लगभग सभी क्षेत्रों में विकास कार्य की प्रारंभ करते हुये काफी हद तक पूर्ण भी किया गया तथा योजना में उपलब्ध होने वाली लगभग सभी भूखंडों का आवंटन भी कर दिया गया है जिनके लिये आवंटितियाँ में किराते भी जमा कर दी है । चूंकि जनता में भूखंडी एवं कच्चा भवनों की अधिक मांग है अतएव वर्तुस्थित को पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के महापालिका सीमा के वाद के हिस्से को भी तुरंत विकसित किया जाये । योजना की पूर्व विज्ञप्ति योजना के किसी भी हिस्से को छोड़ने हेतु पुनः किसी प्रकार का दि-नौटी फिडेशन नहीं किया गया । शासन द्वारा योजनाओं को विकसित करने का समय सरकारी गजट संख्या १११५/१७-बी-१७-२७ दिनांक १६ मार्च, १९७२ द्वारा निर्धारित अवधि में नौटीफाई करके १० वर्षों को दे दिया गया तथा उसके पश्चात् भी और

अवधि बढ़ाई जा सकती है। तथा इस प्रकार वर्तमान समयानुसार अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना हेतु अभी २५-४-७६ तक की अवधि शेष है तथा उसके पश्चात् उपरोक्त आधार पर अवधि आगे यदि आवश्यक होगी बढ़ाई जा सकती है।

उपरोक्त योजना के शेष भाग जो लगभग २३२ एकड़ है तथा जो महापालिका सीमा के बाहर का क्षेत्र है जो उपरोक्त आवश्यकता को देखते हुए विकसित करना इस समय आवश्यक है जिस पर कार्यवाही करने से पहले वैधानिक जांच के लिये शासकीय अधिकारता श्री उमेश चन्द्रा से राय मांगी गई जिन्होंने अपनी राय दिनांक २-६-७७ द्वारा सूचित किया है कि तथा जिसका सारांश यह आता है कि क्योंकि उक्त क्षेत्र महापालिका सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है अतएव ऐसी संभावना रहती कि इस विषय में कोर्ट में चैलेंज ही जाये क्योंकि महापालिका अधिनियम के अन्तर्गत इकीम को महापालिका सीमा तक ही कार्यन्वित किया जा सकता है। (अधिकारता की राय संलग्न है) उन्होंने ने अन्त में यह राय दी है कि विकास प्राधिकरण योजना को कार्यन्वित कर सकता है परन्तु अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त नहीं है फिर भी यदि किसी प्रकार चैलेंज होता है तो उस समय शासन में उत्तर प्रदेश अर्बन स्कीमिंग एवं डेवलपमेंट एक्ट १९७३ में उचित संशोधन हेतु अनुरोध कर लिया जायेगा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि क्योंकि जनता में भूखंडों आदि की काफी मांग है तथा इसी कारण अलीगंज योजना के इस भाग के विकास हेतु लखनऊ शहर के लिये जो इन्टीग्रेटेड सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया गया था तथा जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है में भी अलीगंज योजना के इस भाग को विकास करने हेतु प्राविधान किया गया है। इस आई०सी०डी०पी० के अन्तर्गत विकास कार्य हेतु भारत सरकार से कृपा भी अवमुक्त हो चुका है। अतएव यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र के विकास हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाय। इसी के साथ साथ यह भी उल्लेखनीय है कि अलीगंज आवास योजना के वह भूमि जो अभी विकसित की गई है उसी के समकक्ष यह भूमि के तथा इसके अतिरिक्त भूमि को विकसित करने से इस योजना को पूर्णरूप रखा बन जाती है।

अतएव विकास प्राधिकरण की बैठक अलीगंज योजना के इस शेष भाग जिसका क्षेत्रफल लगभग २३२ एकड़ है तथा जो महापालिका सीमा के बाहर है तथा जिसका महापालिका अधिनियम के अन्तर्गत सम्पूर्ण योजना के मैटिफिकेशन के समय नॉटीफिकेशन हो चुका है पर विकास हेतु कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान करें तथा इस संबंध में राज्य सरकार में भी योजना पर कार्यवाही करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध कर दें जिससे भविष्य में किसी प्रकार की वैधानिक कठिनाई का सामना न करना पड़े।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करने की कृपार्थी।

ह० आर० एन० त्रिवेदी
सचिव ६-६-
विकास प्राधिकरण
ह० ए० पी० गुप्ता
मुख्य अभियन्ता
के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
ह० ए० पी० गुप्ता

ह० वी० एन० लाल
६-६-७७
अधिसाक्षी अभियन्ता (आवास)

O P I N I O N
I N
A L I G A N J S T R E E T & C I T Y E X P A N S I O N S C H E M E

Relevant notifications under the provisions of the U.P. Nagar Mahapalika Adhiniyam and under the Land Acquisition Act show that Aliganj Street & City Expansion Scheme was to consist of land both within the Nagar Mahapalika limits as well as outside it. A resolution (Resolution No. 183 dated 10.3.65) was passed by the Nagar Mahapalika, Lucknow, to the effect that the Aliganj Street & City Expansion Scheme be implemented in so far as the land was situated within the limits of Nagar Mahapalika, Lucknow. The extent of area of land within the limits of Nagar Mahapalika, Lucknow, was 691 acres and an area of 232 acres (approximate) fell outside the limits of Nagar Mahapalika, Lucknow.

The question now that arises for consideration is if on the basis of the notifications under the U.P. Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 (hereinafter referred to as the Adhiniyam) and the Land Acquisition Act, the aforesaid Aliganj Street & City Expansion Scheme can be implemented in relation to the area that fell outside the limits of the Nagar Mahapalika, Lucknow.

I have gone through the various provisions of the Adhiniyam and in my opinion the area that fell outside the limits of the Nagar Mahapalika, Lucknow, could not be included in the Aliganj Street & City Expansion Scheme. Types of improvement schemes are specified in section 343 of the Adhiniyam and it lays down that for the purposes of effecting improvement in the City (underlined by me), improvement scheme may be of one of the types specified therein or a combination of two or more schemes specified therein. The expansion 'City' has been defined in section 2 (10) of the Adhiniyam to mean any local area constituted to be a City under sec. 3. The Limits of local area have been declared by the State Government under section 3 of the Adhiniyam and the aforesaid area of 232 acres did not lie within the limits declared under section 3 of the Adhiniyam.

Aliganj Street & City Expansion Scheme is a scheme which falls within the ambit of section 343 of the Adhiniyam.

Under the provisions of the U.P. Urban Planning & Development Act, 1973, Lucknow Development Authority has been constituted and under the provisions of section 59 (1) of the U.P. Urban Planning & Development Act 1973, Chapter XIV of the U.P. Nagar Mahapalika Adhiniyam 1959 was suspended, but in spite of suspension it is further laid down in section 59 (1) that all proceedings relating to acquisition of land and interest in land for improvement schemes under the Adhiniyam pending immediately before such suspension before any court, Tribunal or Authority, may be continued and concluded in accordance with the provisions of the U.P. Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 (which shall mutatis mutandis apply) as if those provisions were not suspended.

It would thus be seen that although the old scheme continued but it does ^{not} mean that the old schemes should not have been validly initiated. The provisions of the Adhiniyam still apply to the Aliganj Street & City Expansion Scheme and this Scheme could not be extended, as mentioned above, to an area outside the limits of Nagar Mahapalika, Lucknow. The implementation of the Aliganj Street & City Expansion Scheme in an area which does not fall within the limits of Nagar Mahapalika, Lucknow, may not be legal and there will always be a risk of a challenge being made in a court of law on the ground that the Scheme could not cover areas outside the limits of the Nagar Mahapalika, Lucknow.

I am informed that the aforesaid area of 232 acres is now comprised in the development area declared under section 3 of the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973 and you may, therefore, take a chance of carrying out and implementing of the Aliganj Street & City Expansion Scheme. In case any challenge is made in a court of law, the matter may then be examined and, if necessary, the provisions of the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973 be suitably amended by making a request to the State Government.

Passing of a fresh resolution by the Lucknow Development Authority is not necessary and in any case it would not cure the defect mentioned above that the scheme could not cover areas outside the limits of the Nagar Mahapalika, Lucknow.

Sd/- Umesh Chandra,

(Umesh Chandra)
Chief Standing Counsel.

June 8, 1977

TRUE COPY ATTESTED

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

अलीगंज आवास योजना में निर्मित किये गये चार कमरे वाले उच्च आय वर्गीय भवनों को पूर्ण भुगतान के आधार पर (आउट राइट सेल) क्रय करने के लिये प्रार्थनापत्र मत पाने के लिये आमंत्रित किये गये थे। कुल 44 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये थे जिनमें से 37 ^{उत्प्रेषण} स्टैटिंग परचेजरो से पूर्ण धनराशि प्राप्त हो गयी थी तथा उन्हे विगत माह में भवन भी आवंटित किये जा चुके हैं।

उपरोक्त भवनों की माँग तीव्र गति से बढ़ रही है इसी कारण से पुनः इन मकानों को लगभग रु० 75,000/- पर बेचने हेतु प्रार्थनापत्र आमंत्रित किये गये थे। 112 प्रार्थनापत्र रु० 5,000/- की अधिक धनराशि सहित प्राप्त हो गये हैं, जिनमें से अब तक 5 व्यक्तियों ने रिफ़्ड लिया है।

प्रार्थनापत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15-5-76 थी नियमानुसार इन लोगों को 5 महीने के अन्दर शेष धनराशि जमा करनी है तथा उन्हे 6 माह में भवन आवंटित करना प्रस्तावित है।

वर्तमान समय में 100 भवन बनवाने का प्राविधान बजट 1977-78 में किया गया है :-

भवनों का विवरण निम्न प्रकार है :-

भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है		2852.82 वर्गफुट
फ्लिंथ एरिया	लगभग	1272.85 वर्गफुट
निर्माण लागत	लगभग	49537.00 रुपये
विक्रय मूल्य	लगभग	74000/- रुपये

इन भवनों में एक ड्राइंग रूम, 3 बेड रूम, 1 क्वार्ट डाइनिंग रूम, 1 किचन एवं 2 टायलेट आदि सामंभित हैं।

कमरों का साइज़ निम्न प्रकार है :-

बेड रूम	10'-6" x 12'-0"
बेड रूम	10'-6" x 11'-6"
बेड रूम	13'-6" x 10'-6"
ड्राइंग रूम	11'-6" x 16'-6"
डाइनिंग वेराण्डह	12'-0" x 10'-6"

भवनों में कनसील्ट वायरिंग तथा मुजैक के फर्मा बनाने हैं। एक गैरानु बनाने का प्राविधान भी प्रत्येक भवन में है।

उपरोक्त भवनों की तकलीकी संरुति मुख्य अणियन्ता द्वारा लेने के बाद प्राविधिक स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय ने इस शर्त के साथ किया है कि शीघ्रता

(2)

भरतने के लिये 20-20 भवनों की निविदाये अलग अलग 5 ग्रुप में मांग ली जाये जिसकी लागत 10 लाख रुपये के अन्तर्गत होगी जिसकी प्राविधिक रुप से स्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष महोदय को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिया जा चुका है और एक निविदा कुल मूल्य अर्थात् 100 भवनों का एक सप्ता मांग लिया जाय । आदेशानुसार उपरोक्त निविदाये 29-6-77 को मांगी गई हैं ।

अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष उपरोक्त प्रस्ताव सूचनाएँ एवं अनुमोदनार्थी प्रस्तुत है ।

ह०/- बी० एन० ताल
अधियासी अभियन्ता(आवास)

ह०/- एस० पी० गुप्ता
मुख्य अभियन्ता

ह०/- आर० एन० त्रिवेदी
सचिव ।

विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

ह०/- एन० बी० ताल
उपाध्यक्ष ।

दीक्षित/-

अतीर्ण मार्ग एवं नगर प्रसारण योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 100 मध्यम आय वर्गीय भवनों के निर्माण सेक्टर 'डी' में प्रस्तावित किये गये हैं। इन भवनों का व्यय रिवाइलिंग फण्ड, जो राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है, से वहल किया जायगा।

भवनों को पूर्ण विक्रय के आधार पर इच्छुक व्यक्तियों को आवंटित कर दिये जायेंगे, इन भवनों के बारे में संक्षिप्त उपरोक्त निम्न प्रकार से है :-

कुल क्षेत्रफल, जिस पर भवन निर्मित किया जायगा तथा उसके आसपास की भूमि	-	लगभग	1994 वर्गफुट
भवन का प्लैंड एरिया	-	लगभग	902 वर्गफुट
10% सेनटेज एवं 10% लखनऊ-विकास प्राधिकरण लाभ	-	लगभग	7200 रुपये
विक्रय मूल्य, जिसमें भूमि की लागत भी सम्मिलित है।	-	लगभग	54,000 रुपये

उपरोक्त प्रस्ताव विकास प्राधिकरण के समस्त सूचनाई एवं अनुमोदनाई प्रस्तुत है।

ह०/- वी० एन० तान
अधिकासी अभियन्ता (आवास)

ह०/- एस० पी० गुप्त,
मुख्य अभियन्ता

ह०/- आर० एन० त्रिवेदी,
सचिव

विकास प्राधिकरण के समस्त विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

ह०/- एन० वी० तान,
उपाध्यक्ष।

मद संख्या- 22

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय : श्री लीलाधर पन्त का मकान अतीर्ण योजना से छोड़ देने के विषय में ।

श्री लीलाधर पन्त ने अतीर्ण योजना के अन्तर्गत बड़ने वाले खसरा नं० 408, जिसका कुल क्षेत्रफल 16 विस्वा है, में से 4 विस्वा भूमि सन् 1959 में खरीद ली थी । इसके पश्चात् इन्होंने अपने भवन चित्र दिनांक 20-7-64 को नियंत्रक प्राधिकारी के द्वारा महापालिका से स्वीकृत करा दिया जब कि अतीर्ण योजना का नोटिफिकेशन सन् 1962 में किया जा चुका था । श्री पन्त का भवनचित्र जिस खसरे में पड़ता है वह खसरा भी स्कीम के अन्तर्गत आता है । टाउन प्लानिंग विभाग द्वारा जो ले-आउट अतीर्ण का तैयार किया गया जिसमें इस जमीन से होकर सड़क आदि निकाली जाती थी, जो मीके पर निर्मित हो चुकी है । चूंकि श्री पन्त का भवन का नक्शा पास हो चुका था । अतएव तत्कालीन प्रशासक ने दिनांक 9-5-74 को निरीक्षण करते के पश्चात् पन्त की भूमि, भवन का नक्शा पास करने के आधार पर, छोड़े जाने के आदेश प्रदात किये । श्री पन्त चाहते हैं कि इनकी कुल भूमि 4 विस्वा अर्जल की कार्यवाही से मुक्त कर दी जाय, जो कि इस समय सम्भव नहीं है । फिर भी तत्कालीन प्रशासक के आदेश को ध्यान में रखते हुये श्री पन्त के बने बनाये मकान जिसका निर्माण स्वीकृत है, उपरान्त ही किया गया है; के आगे 5-5 फुट भूमि को छोड़कर मार्ग का ले-आउट पुनः तैयार करा लिया गया है । इससे श्री पन्त द्वारा निर्मित भवन पूर्णतः छूट जाता है एवं दो स्थानों पर कम से कम 5-5 फुट का सेट बैक मिल जाता है तथा अन्य स्थानों पर 10 से 15 फुट सेट बैक मिलता है । इसको मानते के लिये कम से कम रद्दो बदल के साथ श्री पन्त की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है ।

उपरोक्त प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण के निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

ह०/- वार्ड० एन० पाठक,
अध्यासी अभियन्ता (आवास)

ह०/- एस० पी० गुप्त,
मुख्य अभियन्ता,

ह०/- आर० एन० त्रिवेदी,
सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण के समस्त विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

ह०/- एन० बी० ताल,
उपाध्यक्ष ।

14.23 लखनऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारियों पर लखनऊ नगर महापालिका कर्मचारी सेवा निवृत्त वेतन (39) ग्रेजुटी एवं जनरल प्राविडेन्ट फंड नियमावली 1962 लागू करने के सम्बन्ध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम 1973 के अर्वागत हो चुकी है । स्थापना से पूर्व विकास कर्मचारियों पर उपरोक्त पेन्शन नियमावली लागू थी तथा सेवा निवृत्त कर्मचारियों को उसके अर्वागत पेन्शन प्राप्त होती थी । अधिनियम के निबन्धों के अनुसार जब तक सेवा शर्तों इत्यादि के विनियम नहीं बन जाते उस समय तक नगर महापालिका अधिनियम 1959 के अर्वागत नियम लागू रहेंगे । नगर महापालिका अधिनियम 1959 के अर्वागत बने पेन्शन नियमों में जो असंगत बातें हैं उनको हटाकर पेन्शन नियम ग्रहण किये जाते हैं । महापालिका नियमावली/कर्मचारियों की सेवा शर्तों को देखते हुए हितकर भी प्रतीत होती है अतः इसको निम्नलिखित संशोधनों सहित प्रस्तुत किया जाता है -

- संशोधन : 1- नियमावली में नगर महापालिका, इन्फ्रूवमेन्ट ट्रस्ट, म्युनिसिपल बोर्ड के स्थान पर विकास प्राधिकरण समझा जायगा तथा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 के स्थान पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 समझी जायगी तथा अधिनियम से असंगत धारयाँ हटाई गई समझी जायगी ।
- 2- नियमावली इसी प्रकार तथा उन्ही शर्तों पर तथा उन्हीं कर्मचारियों पर लागू रही समझी जायगी जैसे यदि प्राधिकरण की स्थापना न हुई होती तो लागू रहती, परन्तु इतना संशोधन और माना जायगा कि यह नियमावली बाह्य सेवा पर अ्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी उन पर मूल विभाग की नियमावली लागू होगी, अन्य सभी कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू होगी ।
- 3- नियमावली में मुख्य नगर अधिकारी/लेखा अधिकारी के स्थान पर सचिव/मुख्य लेखा अधिकारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक के स्थान पर इन्जामिनर लोकल फंड या उनके प्रतिनिधि सम्प्रेषक समझे जायेंगे ।
- 4- नियमावली में कार्यकारिणी समिति के स्थान पर उपाध्यक्ष समझा जायेगा ।
- 5- पेन्शन सेवा की गणना महापालिका/पालिका की सेवाओं की गणना करते हुए की जायगी ।
- 6- कर्मचारी जो सेवा निवृत्त पाने योग्य हों यदि उन पर कोई दायित्व न हो तथा पेन्शन /ग्रेजुटी रोकने के विपरीत आदेश न हों तो उनके आवेदन प्राप्त होने पर विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर 75 प्रतिशत पेन्शन एवं 50 प्रतिशत ग्रेजुटी की धनराशि का भुगतान उपाध्यक्ष की स्वीकृति पर तथा शेष संप्रेषक की संस्तुति प्राप्त होने पर किया जायगा ।
- 7- नियमों में संशोधन करके का अधिकार प्राधिकरण को होगा तथा विभाग एवं सम्प्रेषण के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उपाध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होगा ।
- 8- पारिवारिक पेन्शन के भुगतान की सीमा 15 वर्ष मानी जायगी ।
- 9- ग्रुप इन्शोरेन्स का कोई प्रभाव पेन्शन ग्रेजुटी पर नहीं पड़ेगा ।

- 10- सामाज्य भविष्य निधि से अछि एवं अन्तिम आहरण 5000/- तक उप सचिव तथा 5000/- रुपये से अधिक सचिव द्वारा स्वीकृत किये जायें ।
- 11- सामाज्य भविष्य निधि / पेन्शन निधि सचिव एवं मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा संवातित किया जायगा ।

यह संसुति की जाती है कि प्राधिकरण से कृपया उपरोक्त आख्या यदि अनुमोदित करें तो स्वीकृति कराने की कृपा करें ।

ह0/सहायक लेखा अधिकारी(प्राधिकरण),

ह0/मुख्य लेखा अधिकारी,

उपाध्यक्ष/ सचिव
महोदय के आदेश)

उपरोक्त आख्या प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदितार्थ प्रेषित किया जाय ।

ह0/ आर0एन0त्रिवेदी,
सचिव,

प्रमारीत
जमई
लखनऊ

विभाग : - लेखा विभाग

(42)

विषय : - मुख्य लेखा अधिकारी, विकास प्राधिकरण के पद का कार्य देखने के सम्बन्ध में ।

204/77-24

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 5 (1) के अनुसार मुख्य लेखा अधिकारी की नियुक्ति शासन द्वारा होनी थी । नियुक्ति न होने के कारण, विकास प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 4-2-75 की मद (6) के अनुसार यह निर्णय लिया कि जब तक शासन द्वारा नियुक्ति न हो लेखा अधिकारी नगर महापालिका द्वारा अपने कार्य के साथ साथ कार्य देखा जायेगा तथा उनका आधा व्यय महापालिका को दे दिया जायेगा । यह प्रथा चलती रही, परन्तु बीच में लेखा अधिकारी का स्थानांतरण हो गया (जो अभी स्थगित है) तथा प्राधिकरण में कास्ट एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति हो गई जो लेखाधिकारी से उच्च पद है तथा उस पर एक अनुभवी अधिकारी कार्यरत है ।

उपरोक्त स्थिति में मुख्य लेखा अधिकारी के पद का कार्य भी प्राधिकरण के कार्य हित में कास्ट एकाउन्टेन्ट को उनकी अपनी ड्यूटीज के अतिरिक्त दे दिया गया है । यह प्रथा अब भी चल रही है और शासन द्वारा मुख्य लेखा अधिकारी की नियुक्ति होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

प्राधिकरण से अनुरोध है कि उपरोक्त की गई कार्यवाही जो प्राधिकरण कार्य हित में थी, को कृपया औपचारिक स्वीकृत प्रदान करने की कृपा करें ।

ह0/- मुख्य लेखा अधिकारी.

विकास प्राधिकरण के समस्त औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रेषित करें ।

प्रमाणित
लेखाकार (श.)
7/6/77

ह0/- सचिव

विभाग - लेखा विभाग

विषय - लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त डिबेन्चर के मूलधन के भुगतान हेतु शोधन निधि का गठन ।

(42)

मद सं. (25)

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 22-12-76 को '9.5% डिबेन्चर्स 1988' जारी किये थे जो उसी दिनांक को दो सल्टे में २० दो करोड़ के स्थान पर २० 2 करोड़ 6 लाख प्राप्त हो गये थे । श्रृण मॉग पत्र पर 9.5% की दर से अर्धवार्षिक ब्याज देय होगा तथा मूल धन पूर्ण रूपेण 22.12.1988 को देय होगा । मूल धन के प्रतिदान हेतु प्रासेक्टस की शर्तों के अनुसार एक शोधन निधि का गठन वर्ष 1976-77 में ही होना था ।

उपरोक्त शोधन निधि गठन हेतु ग्यारह बैंकों से आफर मांगे गये थे जिनमें इण्डियन ओवरसीज बैंक का आफर निम्नलिखित शर्तों पर प्राधिकरण हितमप्रतीत हुआ जिसे स्वीकृत कर लिया गया तथा मार्च 1977 से शोधन लेखे का भुगतान प्रारंभ करके प्रासेक्टस की शर्तों की पूर्ति कर दी गई ।

1- लखनऊ विकास प्राधिकरण री-इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट स्कीम के अर्न्तगत (प्रति माह पहली तारीख को) २० 75687/- (अंकन पच्चेतर हजार छः सौ सतासी रुपये मात्र) की 142 किस्में बैंक को भुगतान करेगा । बैंक द्वारा 22-12-1988 को २,०६,००,०००/- का भुगतान प्राधिकरण को किया जायेगा ।

2- यह व्यवस्था मार्च 1977 में प्रचलित ब्याज दरों पर आधारित होगी परन्तु यदि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने ब्याज दरें बढ़ती तो बैंक बढ़ती हुई ब्याज दर के आधार पर उपरोक्त किस्मों के बढ़तने के लिये सक्षम होगा ।

3- यदि प्राधिकरण द्वारा शोधन लेखा समाप्त किया जाता है तो जमा धनराशि 22-12-1988 को ही री-इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट स्कीम के अर्न्तगत ब्याज के साथ प्राप्त हो सकेगी ।

4- यदि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तिथि पर किस्त का भुगतान नहीं होता है तो प्राधिकरण को पाँच पै० प्रति 5/- प्रति माह दण्ड ब्याज भी देना होगा ।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण के निर्णय अनुसार उपाध्यक्ष महोदय ने प्राधिकरण के हित में समस्त कार्यवाही स्वीकृत कर दी है तथा शोधन निधि का गठन हो चुका है ।

अतः प्राधिकरण के सूचनार्थ एवं औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें ।

ह०/- सहायक लेखा अधिकारी (प्रा०)

ह०/- मुख्य लेखा अधिकारी,

सचिव महोदय के आदेश :- लखनऊ विकास प्राधिकरण के सूचनार्थ एवं औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रेषित करें ।

ह० सचिव,

प्रमाणित
जि.र.
लेखाकार
7/6/77

विभाग :- लेखा विभाग

विषय :- स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना लागू किया जाना ।

मद सं. 27

(44)

शासन ने स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को विभिन्न कठिनाईयों को किसी सीमा तक दूर करने के उद्देश्य से सामूहिक बीमा योजना लागू किये जाने का निश्चय शासनादेश सं० 195-डी-9-4-77-322(एन)/76 दिनांक 31-3-77 द्वारा लिया गया है । शासनादेश की प्रति संलग्न है । यह योजना विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों पर लागू करना थी जिसे मार्च 1977 पेड इन अप्रैल 1977 से लागू करके मई के वेतन से कर्मचारियों की दो किस्तें काटी जा चुकी हैं । यह एक नीति सम्बन्धी मामला है जिसकी प्राधिकरण से औपचारिक स्वीकृति अवश्यक प्रतीत होती है । इस योजना से लखनऊ नगर महापालिका ने (विकास सहित) अपनी ओर से सामूहिक जीवन बीमा योजना लागू कर रखी थी जिसका शुभताम फलहात बन्द कर दिया गया है । इस मामले में महापालिका द्वारा निर्णय लिये जाने पर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

अतः यह अनुशांसा की जाती है कि कृपया प्राधिकरण से औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध करने का कष्ट करें ।

मुख्य लेखा अधिकारी

प्राधिकरण के समक्ष औपचारिक स्वीकृतार्थ प्रेषित करें ।

प्रमाणित
जम्हा
लेखाकार (प्रग)
7/6/77

सचिव,

45

प्रतिलिपि शासनादेश सं० 195 टी-9-77-322(1)/76 दिनांक 31 मार्च, 1977, प्रेषक, आयुक्त एवं सचिव, स्वास्थ्य शासन विभाग(1), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सेवा में प्रशासक समस्त नगर महापालिकोय, उत्तर प्रदेश/उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश/अध्यक्ष/प्रशासक/प्रमारी अधिकारी, समस्त नगरमहापालिकोय, उत्तर प्रदेश ।

विषय :- स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना लागू किया जाना ।

प्रदेश की पाँच नगर महापालिकाओं को छोड़कर अन्य स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये इस समय पेन्शन, आनुतोषिक तथा पारिवारिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है । इनके वेतनमान भी राज्य कर्मचारियों के वेतनमानों की अपेक्षाकृत कुछ निम्न स्तर के है । इस प्रकार स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति राज्य कर्मचारियों से तुलनीय नहीं है । सेवारत मृत्यु होने की दशा में मृत अधिकारी/कर्मचारी के परिवार को अत्यधिक आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । इन कर्मचारियों के परिवार को नियमानुसार प्राप्त होने वाली प्राविडेन्ट फंड की धनराशि को स्वीकृति करके के उपरान्त भी आर्थिक कठिनाईयों को किसी सीमा तक दूर करके के उद्देश्य से शासन ने भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से सामूहिक बीमा योजना लागू किये जाने का निश्चय किया है । राज्य कर्मचारियों को तो यह योजना 1 मार्च 1976 से लागू की जा चुकी है । अतः स्थानीय निकायों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर यह योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने सिद्धांत रूप से स्वीकृति प्रदान करने की कृपा श्रद्धे की है । प्रारम्भ में यह योजना प्रदेश की महापालिकाओं, विकास प्राधिकरणों, प्रथम श्रेणी की नगरपालिकाओं के सभी पूर्ण कालिक एवं नियमित कर्मचारियों तथा केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर दिनांक 31 मार्च 1977 से लागू करने का निर्णय लिया गया है । बाद में धीरे धीरे इस योजना को अन्य स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर शासनादेश लागू किया जा सकेगा । फिलहाल जिन कर्मचारियों पर यह योजना लागू की जा रही है, उनकी अनुमानित संख्या 62412 है ।

2- इस योजना की कुछ मुख्य बातें नीचे अंकित है :-

- (1) भारतीय जीवन बीमा/को सामूहिक बीमा योजना के अनुसार प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को 10 रुपये प्रतिमाह की दर से अभिदान देना होगा । इस अभिदान पर स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण प्रत्येक कर्मचारी के लिये लगभग ₹ 1.63 पैसे प्रतिमाह की दर से अपना अंशदान निगम को देगी । इस प्रकार जो धनराशि भारतीय जीवन बीमा निगम को देय होगी वह " रिक्त प्लान का प्रीमियम " तथा " डिपॉजिट ऐडमिनिस्ट्रेशन प्लान की ओर प्रीमियम " में विभाजित की जायेगी । रिक्त प्लान के लिये ₹ 54-00 पैसे प्रति वर्ष/कर्मचारी तथा डिपॉजिट ऐडमिनिस्ट्रेशन प्लान के लिये ₹ 85.56 पैसा प्रति वर्ष/कर्मचारी के आधार पर प्रीमियम की दरें निर्धारित की जायेगी ।
- (2) प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा इस योजना के निमित्त अपना मासिक अभिदान देय होगा चाहे वह डियूटी पर हो चाहे अवकाश पर हो अथवा निलम्बित हो । अवकाश की अवधि तथा निलम्बन की अवधि में निगम द्वारा उनका रिक्त प्लान आच्छादित रहेगा इसलिये उक्त अवधियों में भी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपना अभिदान दिया जाना आवश्यक है ।
- (3) अधिकारी/कर्मचारी का अभिदान प्रत्येक मास में उसके वेतन से उसका भुगतान करते समय सम्बन्धित स्थानीय निकाय/ विकास प्राधिकरण द्वारा काट लिया जायेगा । यह कटौती वेतन बिलों में उसी प्रकार प्रदर्शित की जायेगी जिस प्रकार कर्मचारियों के प्राविडेन्ट फंड के सम्बन्ध में कटौती प्रदर्शित की जाती है । इसके लिये स्थानीय निकाय/ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष/ प्रशासक/ प्रमारी अधिकारी/सचिव द्वारा प्रत्येक वेतन बिल पर इस अन्वय का एक प्रमाण दिया जायेगा कि वेतन बिल में दिखाये गये अत्यन्तान रिक्तियों में नियुक्त कर्मचारियों तथा अस्थायी रोड मैंग व अस्थायी सफाई मैंग के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभाजित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को छोड़कर शेष समस्त कर्मचारियों के वेतन से 10 रुपये प्रतिमाह की कटौती कर ली गयी है और कटौती की कुल धनराशि बिल के प्रथम पृष्ठ पर सामूहिक बीमा योजना के रूप में दिखा दी गयी है । जिन अधिकारियों के वेतन बिल अलग से बनाये जाते हैं उनके वेतन बिलों में भी यह कटौती बिल के प्रथम पृष्ठ पर प्रदर्शित की जायेगी । कटौती की यह धनराशि स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण की निधि से निकाली जायेगी बल्कि इसे सम्बन्धित स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण के लोष में आय स्वरूप रखने दिया जायेगा । इस धनराशि का समायोजन सम्बन्धित निकाय विकास प्राधिकरण को प्राप्त होने वाली राज्य सहायता के बिलों से तदनुसार कटौती करके जिताधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा ।

4- स्थानीय निकायों / विकास प्राधिकरण कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के लिये राज सहायता के मासिक बिलों के साथ सब पैरा (3) में निर्दिष्ट सम्बन्धित वेतन बिलों की तीन संतान करके उन्हें प्रत्येक माह में जिलाधिकारी के समक्ष प्रतिहस्ताक्षरों हेतु प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी राज सहायता के मासिक बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करते समय कर्मचारियों के अभिदान तथा सम्बन्धित स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण के अंशदान की धनराशि राज सहायता के बिल से काट लेंगे और इन धनराशियों के निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश तखनऊ के नाम हस्ताक्षरित कर देंगे तथा राज सहायता के बिलों को निदेशक स्थानीय निकाय अगले माह के प्रारम्भ में इस प्रकार काटा गया सारा धन जीवन बीमा निगम को दे देंगे। हस्ताक्षरित करने के दिनांक से तीन दिनों के अन्दर जमा कर देंगे राज सहायता के बिलों के साथ स्थानीय निकायों / विकास प्राधिकरणों से प्राप्त वेतन बिलों की तीन प्रतियों में जिलाधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित किया जायेगा कि बिलों से कटौती की गयी धनराशि को अमुक ट्रेजरी चालान संख्या स्टेट बैंक / कोषानार में अमुक तिथि को लेखा शीर्षक --- के अर्द्धगत जमा कर दी गयी है। वेतन बिल की एक प्रति सम्बन्धित स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण को वापस कर दी जायेगी। दूसरी प्रति सम्बन्धित ट्रेजरी चालान सहित शासन को जमा होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर पंजीकृत डाक से भेज दी जायेगी।

(5) प्रत्येक स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक माह की 10 तारीख तक इन कटौतियों का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्र पर शासन को दो प्रतियों में प्रेषित करेगा।

(6) सब पैरा (4) में निर्दिष्ट लेखा शीर्षक में जमा की गयी धनराशियों का मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र पर कोषाधिकारी/स्टेट बैंक द्वारा भी शासन को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रेषित किया जायेगा।

(7) जिलाधिकारियों / स्थानीय निकायों / विकास प्राधिकरणों तथा कोषाधिकारियों / स्टेट बैंक से जमा की गयी धनराशियों का मासिक विवरण प्राप्त हो जाने पर शासन द्वारा इन धनराशियों का मिलावट करके यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का ^{अभिदान} अंशदान सही लेखा शीर्षक में जमा कर दिया गया है।

(8) ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर हो उनके बारे में सम्बन्धित बाह्य/योजक अथवा उस शासन द्वारा जिसके अधीन वह कार्य कर रहे हों, 10 रुपये प्रति माह की अभिदान की कटौती उनके वेतन से की जायेगी तथा इस धनराशि को तुरन्त निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करके ट्रेजरी चालान संख्या उत्तर प्रदेश शासन को भेजी जायेगी। इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का पूर्ण विवरण अर्थात् कर्मचारी का नाम बाह्य सेवा योजक शासन के अधीन ग्रहण किया गया पद विभाग का नाम ट्रेजरी चालान संख्या दिनांक तथा ट्रेजरी का नाम देते हुये यह सूचना सम्बन्धित बाह्य सेवा योजक/सम्बन्धित राज्य शासन द्वारा उस अधिकारी कर्मचारी की सम्बन्धित निकाय विकास प्राधिकरण तथा जिलाधिकारी को भेजी जायेगी। ऐसे कर्मचारियों के मामलों में स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण के व अंशदान की धनराशि अर्थात् २०।63 पैसे प्रतिमाह प्रति व्यक्ति, जिलाधिकारी द्वारा राज सहायता के बिलों से काटकर लेखा शीर्षक में जमा की जायेगी और इसकी सूचना अन्य कटौतियों की भाँति शासन को प्रेषित की जायेगी।

9- निदेशक स्थानीय निकाय जिस मास मुमताब देय हो उसके प्रथम दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर निगम को प्रतिमास अग्रिम रूप से एक संवत्त मुमताब करेंगे जिसमें अधिकारियों / कर्मचारियों का अभिदान तथा स्थानीय निकायों के अंशदान की कुल धनराशि सम्मिलित होगी। ऐसा मुमताब समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिसके अर्द्धगत नितम्बित या बिना वेतन की छुट्टी वाले कर्मचारी भी हैं किया जायेगा।

10- सेवारत मृत्यु होने की दशा में किसी भी अधिकारी / कर्मचारी को जिसने अपना अभिदान किया है २०।2000/- की दर उसके परिवार को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा/प्रति होगा। सेवा निवृत्त होने की दशा में अथवा अन्य किसी कारण से सेवा से पृथक होने की दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को " डिपॉजिट एडमिनिस्ट्रेशन प्लान" के अर्द्धगत उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि को 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलकर वापस किया जायेगा। सेवा निवृत्त होने पर अधिकारी / कर्मचारी को इसी मद से कम से कम उतनी ही धनराशि अवश्य ही वापिस होगी जो उससे उतनी सेवा अवधि में उसके वेतन से काटी गयी हो —

सेवारत मृत्यु होने की दशा में मृतक के परिवार को 12 हजार रुपये बीमा धन के अतिरिक्त इस मद की धनराशि भी प्राप्त होगी ।

11- भारतीय जीवन बीमा निगम अपनी योजनाओं के अनुसार 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय तथा 2 प्रतिशत अनुष्ठांगिक व्यय के अतिरिक्त बीमा धन की ओर भुगतान की गयी धनराशि मिलाकर " रिक्त प्रीमियम " की कुल धनराशि में से जो शेष धनराशि बचती हो उसमें से 90 प्रतिशत की दर से तारिफ प्रति वर्ष शासन को वापस लौटोयेगा । शासन को प्राप्त होने वाली तारिफ की धनराशि का एक अलग फण्ड स्थापित किया जायेगा और उसका उपयोग सम्बन्धित स्थानीय निकायों / विकास प्राधिकरणों की कल्याणकारी योजनाओं में किया जायेगा ।

*12- मृत्यु हो जाने पर यह आवश्यक होगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम को कर्मचारी की मृत्यु की सूचना अधिकारी/कर्मचारी की सेवारत मृत्यु का दिनांक स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण का नाम जहाँ सम्बन्धित कर्मचारी कार्यरत था आदि का विवरण तुरन्त ही सूचित कर दिया जाय । यह कार्य वाही मृतक कर्मचारी की अन्तिम कार्यरत स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष/प्रशासक /प्रभारी अधिकारी/सचिव द्वारा की जायेगी । सम्बन्धित स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष /प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/सचिव आवश्यक प्रमाण-पत्र देते हुए बीमा निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्रों आदि को जिलाधिकारी/निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश के माध्यम से बीमा निगम को भेजेंगे और बीमा निगम जिलाधिकारी/निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर बीमा धनराशि तथा मृतक कर्मचारी द्वारा जमा की गयी वापिस होने वाली धनराशि का भुगतान मृतक के परिवार अथवा हिताधिकारी को दिये जाने की व्यवस्था करेगा ।

13- भारतीय जीवन बीमा निगम को संवितरण निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश करेंगे ।

14- इस योजना से सम्बन्धित नियमावली अलग से भोजी जायेगी ।

15- मुझे ^{मुझे} ^{आप} से यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों में इस योजना का प्रचार भलीभाँति करायें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी का अभिदान तथा स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण का अंशदान नियमित रूप से जमा होता रहे ।

भवदीय,

ह०/सी०आर०व्यास भीमल

अपुक्त एवं सचिव

आदेश संख्या - 4 / स० प्र०

दिनांक 29/4/1977

उपरोक्त शासनादेश की प्रतिलिपि सभी विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा मुख्य लेखा अधिकारी को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिये प्रेषित ।

कार्यालय अधीक्षक (विकास)

तत्काल विकास प्राधिकरण के समस्त विचारार्थ आख्या
~~महत्त्वपूर्ण कार्यो के बारे में विचारार्थ~~

- विभाग:- सचिव कार्यालय
- विषय:- विकास प्राधिकरण की रोज रोज के महत्वपूर्ण कार्यो के बारे में विचारार्थ
 एवं निर्णय लेने के लिये विकास प्राधिकरण की उप समिति का गठन करने
 के संबंध में।
- सारांश:- विकास प्राधिकरण के रोज रोज के महत्वपूर्ण कार्यो के बारे में निर्णय लेने के
 संबंध के लिये विकास प्राधिकरण की निम्न लिखित तीन प्रकार की समितियां
 होनी चाहिये जो विभिन्न प्रकार के कार्यो पर निर्णय लेने में सहायक होगी।

1- प्लानिंग उप समिति
~~विकास प्राधिकरण की उप समिति~~

इसके सदस्य उपाध्यक्ष, मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, जिलाधिकारी सचिव,
 विकास प्राधिकरण एवं बरिष्ठ नगर नियोजक हो। यह उप समिति मास्टर प्लान में भू उपयोग
 परिवर्तन के मामले छोड़कर प्लानिंग तथा भवन विभाग में आने वाले अन्य सभी नीतियों संबंधी
 समस्याओं पर मार्ग निर्देशान करेगी। ऐसे काम विलडिंग वाईलाज, सेट बैक्स का निर्धारण भवन
 विभाग की गूढ़ समस्याओं के मामले में विचार विमर्श, कम्पाउण्डिंग केस हेतु तथा जो नल
 प्लान बनाने के संबंध में और उन पर निर्णय लेने के संबंध में, विभिन्न प्रकार की प्राधिकरण
 स्कीमों केले-आउट प्लान तथा डिजाईन आदि का अनुमोदन आदि करेगी।

इस समिति में मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा स्टेट आर्किटेक्ट
 भी हो जिनके लिये शासन को लिखना होगा। नगर अभियन्ता (भवन) भी इसमें होना चाहिये
 इसी समिति को फावनों आदि के टाईप डिजाईन पर विचार करने का कार्य भी सौपा जाना
 चाहिये।

2- अभियन्त्रण उप समिति
~~विकास प्राधिकरण की उप समिति~~

यह उप समिति अभियन्त्रण विभाग के 10 लाख रुपये से उपर के व्यय अनुमान
 जांचने, समय समय पर कार्य की प्रगति और उनकी देवालिटी का मूल्यांकन करने, किसी मामला
 विशेष की तकनीकी आडिट सेल में भेजने आदि का काम करेगी। इसके सदस्य उपाध्यक्ष, मुख्य नगर
 एवं ग्राम नियोजक, प्रबंध निदेशक, जल निगम, सचिव विकास प्राधिकरण और मुख्य अभियन्ता हो।

3- वित्त उप समिति
~~विकास प्राधिकरण की उप समिति~~

यह उप समिति प्राधिकरण के समस्त समय समय पर उत्पन्न लेखा संबंधी
 समस्याओं का निराकरण करेगी/उदाहरण के तौर पर ऐसे मामले कि उपलब्ध धनराशि का
 विनियोजन किस प्रकार से किया जाय, प्राधिकरण की विभिन्न स्थितियों के लिये धनराशि
 किस प्रकार जुटाई जाय। प्राधिकरण की स्कीमों के कास्ट बैनिफिट एनालिसिस उपलब्ध धनराशि
 की फेजिंग जिसमें किसी भी समय

- २ -

अधिक धनराशि उपयुक्त तथा विनियोजित न पड़ी रहे और विभिन्न ऋणों का प्रतिदान समय समय से किस प्रकार किया जा सकता है पर विचार करेगी। यह उप समिति प्राधिकरण के विभिन्न भागों में उत्पन्न पदों की आवश्यकता पर विचार करेगी और पदों को सजित करने के लिये प्राधिकरण को संसूचित करेगी। समिति के सदस्य उपाध्यक्षा, सैट्टरि फार्डेनेन्स के प्रतिनिधि, सचिव आवास विभाग के प्रतिनिधि सचिव विकास प्राधिकरण और मुख्य लेखा अधिकारी तथा कास्ट एगारुन्टेंट हों।

आपके आदेशानुसार मैंने उपर्युक्त समितियों के गठन और कार्यों के बारे में यह आख्या बना ली है परन्तु इस बीच मेरा ध्यान प्राधिकरण की बैठक २५-७-७५ की मद संख्या (एक) में लिये गये निर्णय की ओर दिलाया गया। इसी साथ ही कृपया प्राधिकरण की बैठक दिनांक २-४-७५ की मद संख्या ३ तथा १२ को मैं देखने का कष्ट करें। दिनांक २५-७-७५ की बैठक में अभियन्त्रण उप समिति गठित करने पर विचार हुआ था और यह निश्चय लिया गया था कि प्राधिकरण अपने अधिकारों का प्रतिनिधायन किसी भी समिति को नहीं कर सकता है। इस स्पष्ट निर्णय के बाद कृपया आदेश दें कि पुनः इस मामले को विकास प्राधिकरण के सम्बन्ध में जानाउचित होगा अथवा नहीं।

ह० आर० एन० त्रिवेदी
सचिव,
विकास प्राधिकरण, जयपुर।
४-६-७७

उपाध्यक्षा की अनुमति

यह उप समितियों अधिकारियों की स्लाहकार उप समितियों के रूप में कार्य करेगी। इन्हें किसी प्रकार का प्रशासनिक अथवा वित्तीय अधिकार देने का प्रश्न नहीं है। अतः यह विषय विकास प्राधिकरण के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय।

ह० एन० बी० लाल
उपाध्यक्षा